“वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए राज्य विद्युत कंपनियों के कार्य-निष्पादन”

पर रिपोर्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

संदेश

भारत की तेजी से हो रही आर्थिक वृद्धि और तीव्र गति से हो रहे औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के परिणाम ऊर्जा की मांग और अधिक बढ़ गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 55,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई, जो यद्यपि निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा कम है, परंतु यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई क्षमता अभिवृद्धि की तुलना में दो गुणे से अधिक है। यहां तक कि भारत ने जहां एक ओर विद्युत क्षेत्रों में क्षमता अभिवृद्धि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, वहीं दूसरी ओर वितरण क्षेत्र जहां राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों का वर्चस्व है, वित्तीय दृष्टि से संघर्ष कर रहा है।

विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए वितरण क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बेहतर होना नितांत महत्वूपर्ण है क्योंकि वितरण क्षेत्र ही अंतिम उपभोक्ता को सेवाएं प्रदान करता है। वितरण क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में टैरिफ के अपर्याप्त रूप से संशोधन की तुलना में वितरण की लागत बढ़ना, विद्युत की बिक्री से अधिक धनराशि प्राप्त होना, राज्य सरकारों द्वारा छूट जारी करने में विलंब, प्रचालनात्मक अपर्याप्तता, नियामक सुदृढ़ता का अभाव, अवसंरचनात्मक सुधार में अपर्याप्त निवेश आदि प्रमुख रूप से शामिल है। जहां एक ओर पिछले कुछ वर्षों में एटी और सी हानियों को नियंत्रित करने में कुछ सफलता प्राप्त की गई है, वहीं दूसरी ओर अभीष्ट संदर्भ में वे अभी भी अधिक हैं और वितरण कंपनियों को आगे बढ़ने में चुनौती बनी हुई हैं तथा स्थायी आधार पर हानियों को कम करने में हम नाकाम रहे हैं।

वितरण क्षेत्र वित्तीय कायाकल्प संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में विद्युत मंत्रालय ने हानियों के स्तर को घटाने के उद्देश्य से बहुत से उपाय लागू किए हैं। हानियों को स्थायी आधार पर कम करने के लिए राज्यों/राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 51577 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय के साथ पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) योजना को 12वीं

पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एटी और सी हानियों को 15% से नीचे लाना है। राज्य की वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन हेतु एक योजना अधिसूचित की गई है ताकि नकदी का संकट झेल रही वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को इस संकट से उबारा जा सके। विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य की वितरण कंपनियों के लिए एकीकृत रेटिंग पद्धति तैयार की गई है जो प्रत्येक विद्युत कंपनी की सामर्थ्य और कमजोरियों की पहचान करने और इन समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें अवसर प्रदान करने में सहायक है।

पीएफसी द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित राज्य विद्युत कंपनियों के निष्पादन विषयक रिपोर्ट में राज्य क्षेत्र की सभी विद्युत कंपनियों के वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन पर एक व्यापक विश्लेषण उपलब्ध कराया जाता है और यह वर्तमान में जारी सुधार कार्यक्रमों की मौजूदा स्थिति पर भी प्रकाश डालती है। मुझे विश्वास है कि राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के निष्पादन पर जारी की जाने वाली 10वीं वार्षिक रिपोर्ट में राज्य विद्युत क्षेत्र के निष्पादन और चिंताजनक पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें निहित सघन विश्लेषण विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पणधारकों के लिए उपयोगी साबित होगा।

भूमिका

मुझे राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के निष्पादन पर पीएफसी की रिपोर्ट का 10वां संस्करण प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है। पीएफसी द्वारा वार्षिक रूप से तैयार की जाने वाली रिपोर्ट में राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन पर एक व्यापक विश्लेषण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें विद्युत क्षेत्र के चिंताजनक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जाता है।

मुझे विश्वास है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष की रिपोर्ट भी विद्युत क्षेत्र के सभी पणधारकों के लिए मूल्यवान एवं उपयोगी सिद्ध होगी और विद्युत क्षेत्र की वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए एक सशक्त टूल के रूप में प्रयोग की जाएगी।

मैं विद्युत मंत्रालय को उनके द्वारा दी गई मूल्यवान सलाह और सहायता के लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं तथा विभिन्न राज्यों के विद्युत विभागों की वार्षिक संसाधन योजनाएं हमें उपलब्ध कराने में योजना आयोग द्वारा दिए गए सहयोग को भी मैं स्वीकार करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

मैं राज्य क्षेत्र की सभी विद्युत कंपनियों और विद्युत विभागों की भी दिल से प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस रिपोर्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमें समय पर अपने वार्षिक लेखे और अन्य आवश्यक जानकारी (इनपुट) उपलब्ध कराए।

(एम. के. गोयल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

विषय सूची

	भूमिका	**पृष्ठ सं.**
	कार्यकारी सारांश	**i**
	वित्तीय निष्पादन संबंधी विशेषताएं	**iii**
	वास्तविक मानदंडों के आधार पर निष्पादन की विशेषताएं	**xi**
	खपत पैटर्न की विशेषताएं	**xii**
	भाग क	
	प्रस्तावना	
I.	पृष्ठभूमि	**xiii**
II.	विद्युत क्षेत्र की वृद्धि	**xiii**
	भाग ख	
	कार्यप्रणाली और सूचना की उपलब्धता की स्थिति	
I.	भावी संभावनाएं और कार्यक्षेत्र	**xxii**
II.	इनपुट	**xxii**
III.	प्रचालन में परिवर्तन के संदर्भ में सूचना	**xxiii**
IV.	कार्यप्रणाली	**xxiii**
	तालिका-I - वार्षिक लेखाओं की स्थिति	**xxv**

	तालिका-।। - परिभाषाएं	xxviii
	भाग ग	
अध्याय 1	***वित्तीय मानदंडों के आधार पर निष्पादन***	
1.0	प्रस्तावना	**1-i**
1.1	विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व	**1-i**
1.2	विद्युत कंपनियों की आय, व्यय और लाभप्रदता	**1-ii**
1.3	विद्युत कंपनियों का राज्यवार वित्तीय निष्पादन	**1-iii**
1.4	बुक और प्राप्त की गई छूट	**1-ix**
1.5	एसीएस और एआरआर के बीच अंतर	**1-ix**
1.6	व्यय संबंधी विवरण	**1-x**
अध्याय 2	***वित्तीय स्थिति***	
2.0	प्रस्तावना	**2-i**
2.1	पूंजीगत संरचना	**2-i**
2.2	निवल मूल्य	**2-i**
2.3	ली गई निधियां	**2-ii**
2.4	निवल स्थायी परिसंपत्तियां और पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	**2-ii**
2.5	पूंजीगत व्यय	**2-ii**
2.6	विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्तियां	**2-iii**
2.7	विद्युत की खरीद के लिए क्रेडिटर	**2-iv**

अध्याय 3	***लाभप्रदता और पूंजीगत संरचना अनुपातों का विश्लेषण***	
3.0	प्रस्तावना	**3-i**
3.1	इक्विटी पर रिटर्न	**3-i**
3.2	निवल मूल्य पर रिटर्न	**3-ii**
3.3	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	**3-ii**
3.4	ऋण इक्विटी अनुपात	**3-iii**
अध्याय 4	***वास्तविक मानदंडों के आधार पर निष्पादन***	
4.0	प्रस्तावना	**4-i**
4.1	स्थापित क्षमता	**4-i**
4.2	उत्पादन	**4-i**
4.3	अनुषंगी खपत	**4-ii**
4.4	विद्युत की खरीद	**4-ii**
4.5	विद्युत की बिक्री	**4-ii**
4.6	एकीकृत तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां	**4-iii**
अध्याय 5	***खपत पैटर्न और राजस्व में अंशदान का विश्लेषण***	
5.0	प्रस्तावना	**5-i**
5.1	विद्युत की बिक्री	**5-i**
5.2	विश्लेषण में शामिल क्षेत्र	**5-ii**

5.3	कृषि उपभोक्ताओं को बिकी	**5-ii**
5.4	औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री	**5-ii**
5.5	क्रॉस सब्सिडी	**5-iii**
5.6	उपभोक्ता श्रेणीवार बिक्री	**5-iii**
अध्याय 6	***सुधार और पुनर्गठन की स्थिति***	
6.0	प्रस्तावना	**6-i**
6.1	सुधारों की स्थिति	**6-i**
	तालिका-।।। सुधारों और पुनर्गठन की स्थिति	**6-ii**
	शब्द संक्षिप्तियों की सूची	

अनुलग्नक सूची- अध्याय-।

वित्तीय मानदंडों के आधार पर निष्पादन

क्र. सं.	विवरण	अनुलग्नक सं.	पृष्ठ सं.
1.	विद्युत की बिक्री रुपए और एमकेडब्ल्यूएच में - राज्यवार	1.1.0	1
2.	निम्नलिखित के लिए आय, व्यय और लाभप्रदता : ▪ ऐसी कंपनियां जो सीधी उपभोक्ताओं को बिकी करती हैं ▪ जेनको, ट्रांस्को और ट्रेडिंग कंपनियां	1.2.1 to 1.2.3 1.3.1 to 1.3.3	2-7 8-10
3.	निम्नलिखित के लिए बुक की गई सब्सिडी, प्राप्त की गई सब्सिडी, कुल राजस्व की तुलना	1.4.1	11-12

	में बुक की गई सब्सिडी का % : ▪ ऐसी कंपनियां जो सीधी उपभोक्ताओं को बिकी करती हैं ▪ जेनको, ट्रांस्को और ट्रेडिंग कंपनियां	1.4.2	13
4.	▪ लाभ और हानि के राज्यवार विवरण ▪ समेकित राजस्व के % के रूप में राज्यवार लाभ / (हानि)	1.5.1 to 1.5.3 1.5.4 to 1.5.6	14-16 21-23
5.	▪ एसीएस, एआरआर और अंतर (रु. प्रति किलोवाट घंटा) ऐसे राज्य जहां विद्युत बोर्ड भंग नहीं किए गए हैं, के लिए राज्यवार अंतर (रु. प्रति किलोवाट घंटा)	1.6.1 to 1.6.3 1.6.4	24-26 35-36
6.	व्यय संबंधी विवरण - सभी विद्युत कंपनियां	1.7.1 to 1.7.3	37-45
7.	लागत संरचना - सभी विद्युत कंपनियां	1.8.1 to 1.8.3	46-54

अनुलग्नक सूची- अध्याय-II

वित्तीय स्थिति

क्र.सं.	विवरण	अनुलग्नक सं.	पृष्ठ सं.
1.	कुल नियोजित पूंजी	2.1.0	59-60
2.	इक्विटी, राजस्व, संचित लाभ/हानि और निवल मूल्य	2.2.0	61-62
3.	नियोजित पूंजी का ब्यौरा	2.2.1 to 2.2.3	63-68
4.	निवल स्थायी परिसंपत्तियां	2.3.0	73-74
5.	पूंजीगत डब्ल्यूआईपी (करोड़ रुपए में)	2.4.0	75-76
6.	पूंजीगत व्यय (करोड़ रुपए में)	2.5.0	77-78
7.	विद्युत की बिक्री के लिए कर्जदार (करोड़ रुपए में और दिनों की संख्या) ▪ ऐसी कंपनियों के लिए जो सीधी उपभोक्ताओं को बिकी करती हैं ▪ जेनको, ट्रांस्को और ट्रेडिंग कंपनियों के कर्जदार	2.6.1 2.6.2	79-80 81
8.	विद्युत की खरीद के लिए क्रेडिटर (रुपए करोड़ में और दिनां की संख्या) ▪ वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए ▪ ऐसी कंपनियों के लिए जो सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करती हैं	2.7.1 2.7.2	82 83-84

अनुलग्नक सूची अध्याय-III

लाभप्रदता और पूंजीगत संरचना अनुपात का विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	अनुलग्नक सं.	पृष्ठ सं.
1.	आरओआर, आरओई और आरओएनडब्ल्यू (बुक की गई और प्राप्त आधार पर सब्सिडी)	3.1.0	85-87
2.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई)	3.2.0	88-90
3.	कर्ज इक्विटी अनुपात	3.3.0	91-92

अनुलग्नक सूची अध्याय- IV

तकनीकी मानदंड

क्र.सं.	विवरण	अनुलग्नक सं.	पृष्ठ सं.
1.	कुल स्थापित क्षमता (मेगावाट)	4.1.0	93
2.	स्थापित क्षमता (मेगावाट) का ब्यौरा ▪ थर्मल, हाइडल, गैस और अन्य	4.1.1 to 4.1.3	94-96
3.	कुल उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच)	4.2.0	103
4.	उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच) का ब्यौरा ▪ थर्मल, हाइडल, गैस और अन्य	4.2.1 to 4.2.3	104-106
5.	थर्मल उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच) और पीएलएफ (%)	4.3.0	113
6.	▪ अनुषंगी खपत (एमकेडब्ल्यूएच) और कुल उत्पादन के % के रूप में ▪ प्रमुख हाइडल उत्पादन करने वाली विद्युत कंपनियों के लिए अनुषंगी खपत	4.4.1 4.4.2	114 115
7.	निम्नलिखित के द्वारा विद्युत (एमकेडब्ल्यूएच) की खरीद ▪ राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत विभाग, जेनको, ट्रांसको और ट्रेडिंग कंपनियां ▪ वितरण कंपनियां	4.5.1 4.5.2	116 117
8.	ऐसी कंपनियों के लिए विद्युत की खरीद (एमकेडब्ल्यूएच) जो सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करती हैं।	4.6.0	118-119
9.	बिक्री के लिए उपलब्ध ऊर्जा और एटी तथा सी हानियां (%) ▪ राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत विभागों के लिए ▪ वितरण कंपनियों के लिए (डिस्कॉम) ▪ ऐसी कंपनियों के लिए जो सीधी उपभोक्ता को बिक्री करती हैं।	4.7.1 4.7.2 4.7.3	120 121-122 123-124
10.	ऐसी विद्युत कंपनियों द्वारा विद्युत की बिक्री जो सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करती हैं	4.8.0	125-126

अनुलग्नक सूची- अध्याय- V

खपत पैटर्न का विश्लेषण और राजस्व में अंशदान

क्र.सं.	विवरण	अनुलग्नक सं.	पृष्ठ सं.
1.	ऐसी विद्युत कंपनियां जो सीधे उपभोक्ता को बिक्री करती हैं, द्वारा एमकेडब्ल्यूएच रुपए में विद्युत की बिक्री	5.1.1	127-128
2.	बिक्री संबंधी विवरण - उपभोक्ता श्रेणीवार ▪ बेची गई ऊर्जा - एमकेडब्ल्यूएच में ▪ बिक्री - करोड़ रुपए में ▪ राजस्व - रुपए/केडब्ल्यूएच	5.2.1 to 5.2.3 5.2.4 to 5.2.6 5.2.7 to 5.2.9	129-134 135-140 141-146
3.	बिक्री के % का ब्यौरा - उपभोक्ता श्रेणीवार ▪ खपत पैटर्न - वर्षवार ▪ राजस्व ब्यौरा वर्षवार	5.3.1 to 5.3.3 5.3.4 to 5.3.6	147-152 153-158
4.	कृषि और औद्योगिक खपत के विवरण ▪ बेची गई ऊर्जा - एमकेडब्ल्यूएच में ▪ बिक्री - करोड़ रुपए में ▪ राजस्व - रुपए/केडब्ल्यूएच	5.4.1 5.4.2 5.4.3	159-160 161-162 163-164
5.	कृषि और औद्योगिक खपत की बिक्री के % का ब्यौरा ▪ कुल बिक्री का % - एमकेडब्ल्यूएच में ▪ कुल बिक्री का % - करोड़ रुपए में	5.5.1 5.6.1	165-166 167-168

कार्यकारी सारांश

- इनपुट के रूप में प्रयोग किए गए दस्तावेजों के वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं :

वर्ष	सूचना का स्रोत (विद्युत कंपनियों की संख्या)			
	कंपनियों की कुल संख्या*	लेखापरीक्षित लेखे	अनंतिम लेखे	संसाधन योजना
2009-10	90	74	6	10
2010-11	93	70	13	10
2011-12	91	56	25	10

*पुनर्गठन के परिणामस्वरूप स्थापित की गई नई कंपनियों के विवरण और उपलब्ध सूचना भाग ख - कार्यप्रणाली पैरा-।।। में दी गई है।

- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली कंपनियों के लिए सब्सिडी को छोड़कर कुल आय वर्ष 2010-11 में 2,28,731 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 2,68,447 करोड़ रुपए हो गई। इस प्रकार इसमें वर्ष 2011-12 में 17.36% की वृद्धि दर्ज की गई।
- इन कंपनियों द्वारा बेची गई कुल ऊर्जा वर्ष 2010-11 में 5,78,698 एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 6,22,504 एमकेडब्ल्यूएच हो गई। इस प्रकार इसमें वर्ष 2011-12 में 7.57% की वृद्धि दर्ज की गई।
- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली कंपनियों द्वारा बुक की गई कुल सब्सिडी वर्ष 22011-12 में 30,242 करोड़ रुपए से बढ़कर गत वर्ष 22,666 करोड़ रुपए हो गई। विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में बुक की गई सब्सिडी वर्ष 2011-12 में 10.93% से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 12.49% हो गई।
- राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सब्सिडी विद्युत कंपनियों द्वारा बुक की गई सब्सिडी के लगभग 85% रही। असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने उनकी संगत वितरण कंपनियों द्वारा बुक की गई संपूर्ण सब्सिडी जारी कर दी है।
- सभी वितरण कंपनियों की एकीकृत बुक की गई हानियां (वास्तविक आधार पर) वर्ष 2009-10 में 30,430 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 51,602 करोड़ रुपए और 2011-12 में 62,581 करोड़ रुपए हो गई।
- सभी विद्युत कंपनियों के लिए एकीकृत हानियां (सब्सिडी की गणना किए बिना) वर्ष 2009-10 में 64,463 करोड़ रुपए से बढ़कर 2010-11 में 74,291 करोड़ रुपए और 2011-12 में 92,845 करोड़ रुपए हो गई।
- सभी कंपनियों के लिए एकीकृत आधार पर प्राप्त सब्सिडी पर हानियां वर्ष 2009-0 में 45,38 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में 53986 और वर्ष 2011-12 में 67,006 करोड़ रुपए हो गई।

- एकीकृत राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) के अनुपात के रूप में राज्यों के साथ साथ पुड्डूचेरी संघ राज्य में सभी विद्युत कंपनियों के लिए एकीकृत बुक हानियां वर्ष 2010-11 में 22.56% से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 23.31% हो गईं। इसी प्रकार प्राप्त सब्सिडी के आधार पर एकीकृत हानियां वर्ष 20110-11 में 23.60 से बढ़कर 2011-12 में 24.96% हो गईं।
- 10 राज्यों में विद्युत कंपनियों ने एकीकृत आधार पर बुक लाभ में सुधार दर्शाया और वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान 5,056 करोड़ रुपए की बुक हानियों को कम किया।
- 19 राज्यों और पुड्डुचेरी संघ राज्य में विद्युत कंपनियों ने एकीकृत आधार पर कमजोर बुक लाभ प्रदर्शित किया और वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में 16,035 करोड़ रुपए की बुक हानियां बढ़ गईं।
- निवल मूल्य 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 14,973 करोड़ रुपए से घटकर 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 5,314 करोड़ रुपए हो गया। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य नकारात्मक रहा और इसमें 31,812 करोड़ रुपए की कमी हो गई।
- प्राप्त सब्सिडी आधार पर अंतर वर्ष 2009-10 में 0.61/केडब्ल्यूएच रुपए से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 0.67/केडब्ल्यूएच रुपए तथा वर्ष 2011-12 में 0.76/केडब्ल्यूएच रुपए हो गया।
- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली विद्युत कंपनियों के लिए विद्युत की बिक्री से प्राप्तियां (दिनों की संख्या) वित्त वर्ष 2011 में 116 दिन से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 के दौरान 151 दिन हो गया।
- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली विद्युत कंपनियों के लिए संपूर्ण एटी और सी हानियों के % में वर्ष 2010-11 में 26.04% की तुलना में वर्ष 2011 में 27.00% की आंशिक वृद्धि हुई।

राज्य की विद्युत कंपनियों के वित्तीय और वास्तविक निष्पादन संबंधी विशेष्ताएं - 2011-12

वित्तीय निष्पादन

राजस्व वृद्धि

राज्य के विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा की बिक्री से राजस्व में होने वाली वृद्धि गत वर्ष में 19.89% की तुलना में वर्ष 2011-12 में 16.80% रही। पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज की गई वृद्धि नीचे दी गई है:

करोड़ रुपए में

2009-10		2010-11		2011-12	
बिक्री	वृद्धि (%)	बिक्री	वृद्धि (%)	Sales	Growth (%)
1,72,948	9.83%	2,07,347	19.89%	2,42,189	16.80%

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली विद्युत कंपनियों (राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत विभाग, डिस्कॉम) का एकीकृत टर्नओवर अर्थात विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व और अन्य आय, जिसमें बुक की गई सब्सिडी शामिल नहीं है, वित्त वर्ष 2011 में 2,28731 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 में 2,68,447 करोड़ रुपए हो गई, इस प्रकार इसमें 17.36% की वृद्धि दर्ज की गई। इन कंपनियों के एकीकृत व्यय में भी वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई और यह वर्ष 2010-11 में 18.54% से बढ़कर वर्ष 20011-12 में 18.57% हो गया। वर्ष 2011-12 के दौरान लागत वसूली का स्तर गत वर्ष में 76.29% की तुलना में 75.51% रहा।

एकीकृत बुक हानि - उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली कंपनियों के लिए

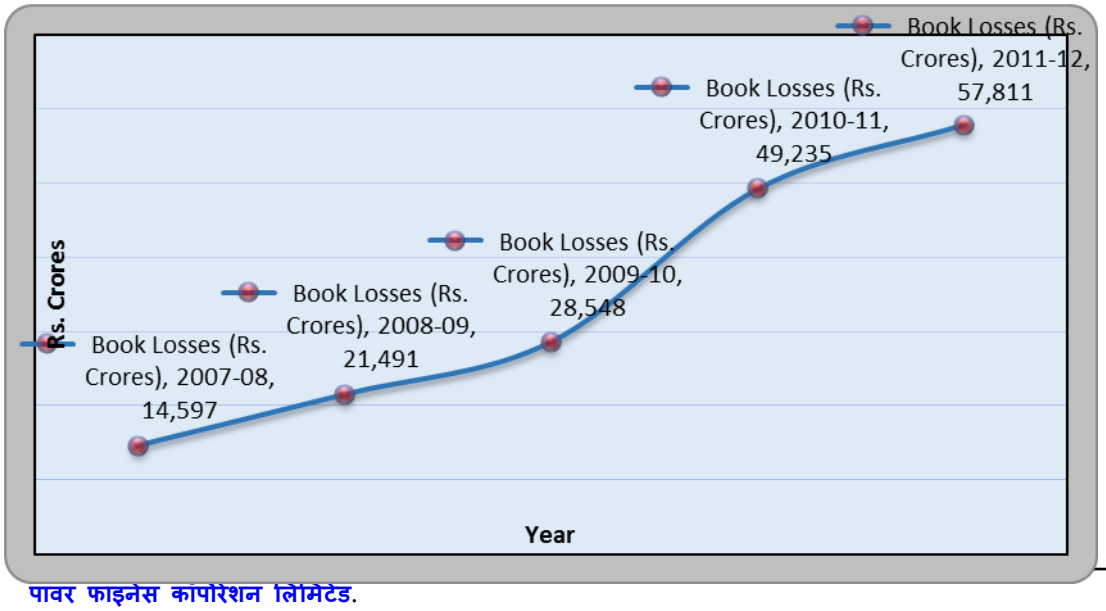

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली सभी विद्युत कंपनियों की एकीकृत बुक हानियां वर्ष 2009-10 में 28,548 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 49,235 करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 में 57,811 करोड़ रुपए हो गईं।

प्राप्त सब्सिडी के आधार पर एकीकृत हानियां - उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली कंपनियों के लिए

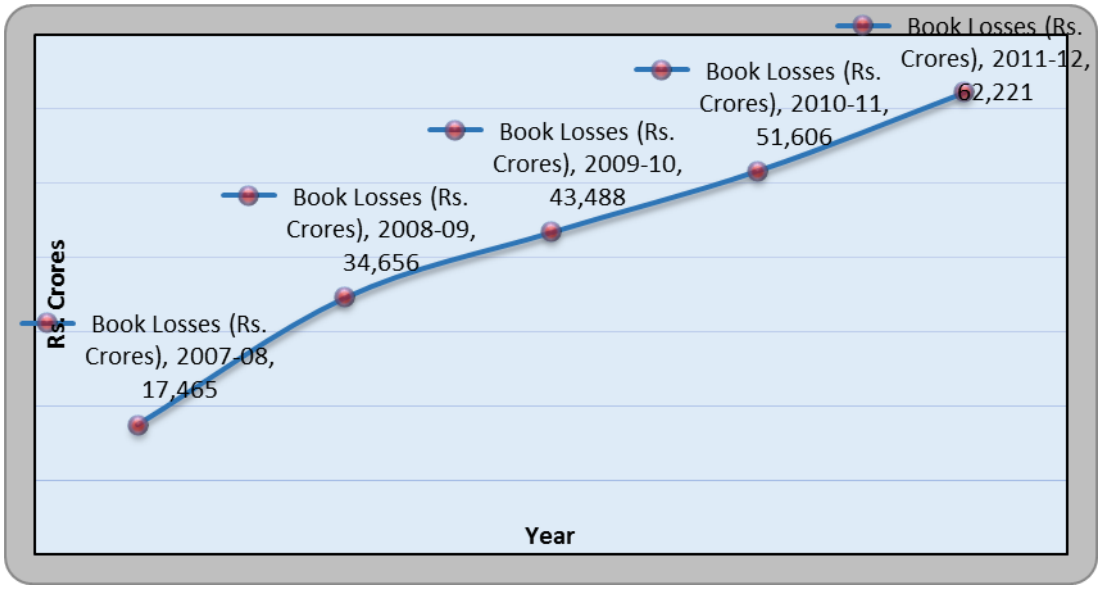

प्राप्त सब्सिडी के आधार पर एकीकृत हानियां वर्ष 2009-10 में 43448 करोड़ रुपए से बढ़कर 2010-11 में 51,606 करोड़ रुपए और 2011-12 में 62,221 करोड़ रुपए हो गईं। इस प्रकार इसमें 2010-11 की तुलना में 20.57% की वृद्धि हुई।

एकीकृत बुक (हानियां) - उत्पादन, पारेषण और ट्रेडिंग कंपनियां

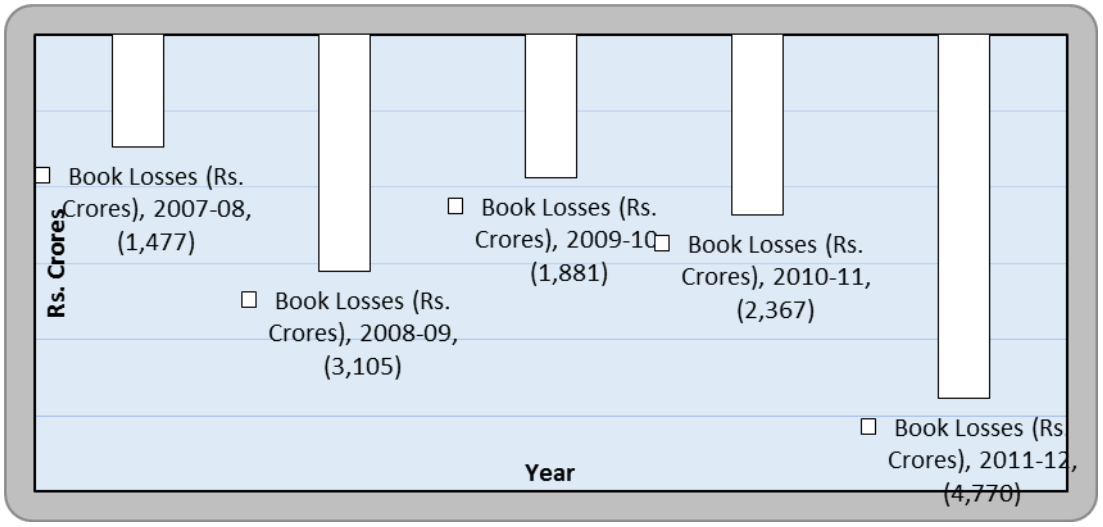

वर्ष 2009-10 में उत्पादन, पारेषण और ट्रेडिंग कंपनियों को 1,881 करोड़ रुपए की बुक हानि हुई जो 2010-11 में बढ़कर 2367 करोड़ रुपए हो गई। यह हानि वर्ष 2011-12 में और वृद्धि के साथ 4770 करोड़ रुपए हो गई।

एकीकृत बुक हानियां - सभी कंपनियों के लिए

सभी कंपनियों की बुक हानियां (संचित आधार पर) वर्ष 2009-10 में 30,430 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 210-11 में 51,602 करोड़ रुपए और 2011-12 में 62,581 करोड़ रुपए हो गईं।

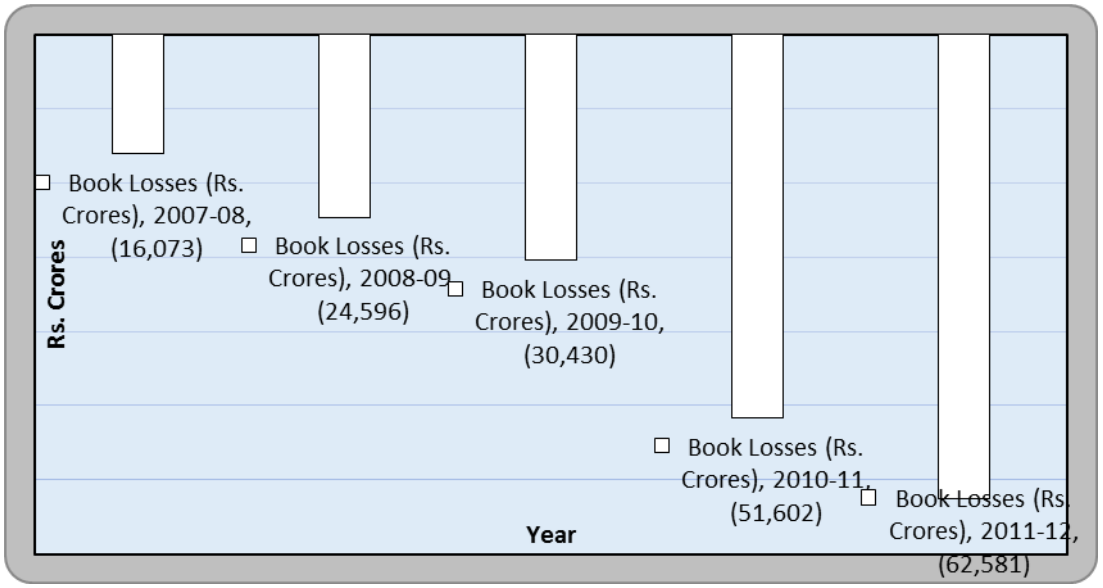

ऐसे राज्य जिन्होंने वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में बुक लाभ में वृद्धि के संदर्भ में काफी सुधार (100 करोड़ रुपए से अधिक) दर्शाया है अथवा बुक हानियों को कम किया है, उनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं।

ऐसे राजस्व जिन्होंने वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में अपने बुक लाभ में कमी/हानि (100 करोड़ रुपए से अधिक) दर्शाई है, में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गोवा और मध्य प्रदेश शामिल हैं।

एकीकृत हानियां (सब्सिडी की गणना किए बिना) - सभी कंपनियों के लिए

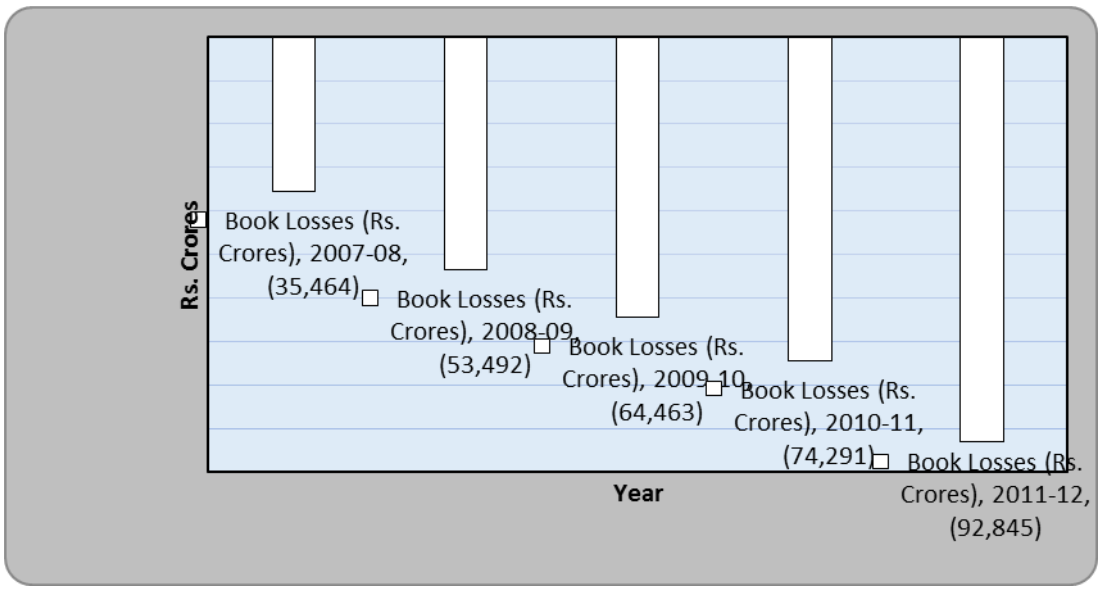

सभी कंपनियों के लिए एकीकृत हानियां (सब्सिडी की गणना किए बिना) वर्ष 22009-10 में 64,463 करोड़ रुपए से बढ़कर 2010-11 में 74,291 करोड़ रुपए और 2011-12 में 92,845 करोड़ रुपए हो गईं।

पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दिल्ली और केरल राज्यों की विद्युत कंपनियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान एकीकृत आधार पर लाभ (सब्सिडी के बिना) अर्जित किया है।

दिल्ली और पश्चिम बंगाल राज्यों की विद्युत कंपनियों ने 2010-11 की तुलना में वर्ष 20011-12 के लिए लाभ (सब्सिडी के बिना) में क्रमश: 653 करोड़ रुपए और 278 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाई है। ऐसे राज्य जिन्होंने सब्सिडी के बिना हानियों को कम किया है उनमें राजस्थान (1058 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र (856 करोड़ रुपए), पंजाब (222 करोड़ रुपए) और असम (123 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

हालांकि, सब्सिडी पर विचार किए बिना कुछ राज्यों में एकीकृत आधार पर विद्युत कंपनियों की हानियों में काफी वृद्धि हुई है। इनमें उत्तर प्रदेश (6018 करोड़ रुपए), हरियाणा (3306 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (2831 करोड़ रुपए), झारखंड (2788 करोड़ रुपए), आंध्र प्रदेश (1,972 करोड़ रुपए) और बिहार (1,524 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

एकीकृत हानियां (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर) - सभी कंपनियां

सभी कंपनियों के लिए एकीकृत रूप में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर हानियां वर्ष 2009-10 में 45,382 करोड़ रुपए से बढ़कर 2010-11 में 53,986 करोड़ रुपए और 2011-12 में 67,006 करोड़ रुपए हो गईं।

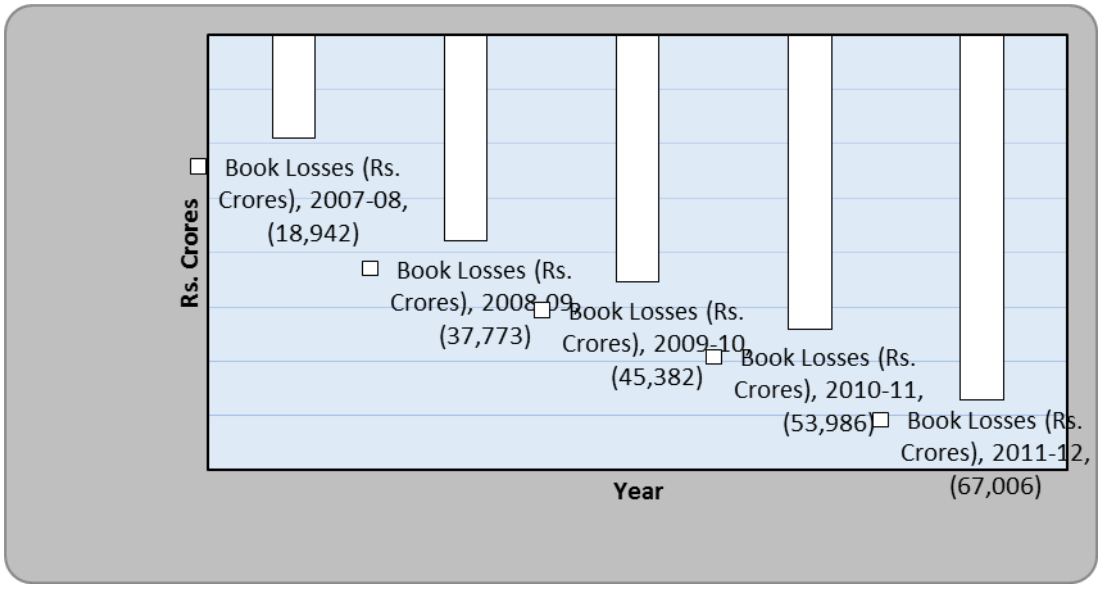

एकीकृत राजस्व के अनुपात के रूप में लाभ - सभी कंपनियों के लिए

एकीकृत राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में सभी कंपनियों के लिए एकीकृत बुक हानियां 2009-10 में 15.96% से बढ़कर 2010-11 में 22.56% और 2011-12 में 23.31% हो गईं। प्राप्त सब्सिडी के आधार पर हानियों में आंशिक कमी हुई और ये वर्ष 2009-10 में 23.80% से घटकर वर्ष 2010-11 में 23.60% हो गईं, परंतु वर्ष 2011-12 में पुन: बढ़कर 24.96% हो गईं।

उच्च हानियां दर्शाने वाली कंपनियों को छोड़कर विद्युत क्षेत्र की लाभप्रदता

स्थायी आधार पर चुनिंदा राज्यों से संबंधित हानियों का विश्लेषण कर समस्त विद्युत क्षेत्र के निष्पादन पर बेहतर जानकारी प्राप्त की जा सकी। तदनुसार यह देखा जा सकता है कि राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में संचित आधार पर हानियों का स्तर काफी ऊंचा है। इन राज्यों के लिए संचित आधार पर एकीकृत हानियां वर्ष 2011-12 में 46,430 करोड़ रुपए हैं। इसी प्रकार इन तीन राज्यों के लिए प्राप्त सब्सिडी के आधार पर एकीकृत हानियां वर्ष 2011-12 में 46,444 करोड़ रुपए रहीं।

करोड़ रुपए में

	2009-10		2010-11		2011-12	
	संचित आधार पर पीएटी/ (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर पीएटी/ (हानि)	संचित आधार पर पीएटी/ (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर पीएटी/ (हानि)	संचित आधार पर पीएटी/ (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर पीएटी/ (हानि)
राजस्थान, तमिलनाडु	(11,705)	(15,639)	(10,435)	(12,805)	(16,152)	(20,562)

और उत्तर प्रदेश के अलावा सभी राज्य						
राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश	(18,724)	(29,743)	(41,167)	(41,181)	(46,430)	(46,444)
जोड़	**(30,430)**	**(45,382)**	**(51,602)**	**(53,986)**	**(62,581)**	**(67,006)**

छूट

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली विद्युत कंपनियों द्वारा बुक की गई और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सब्सिडी के विवरण निम्नानुसार हैं :

करोड़ रुपए में

	2009-10	**2010-11**	**2011-12**
बुक की गई सब्सिडी	34,014	22,666	30,242
जारी की गई सब्सिडी	19,074	20,295	25,832

विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में कंपनियों द्वारा बुक की गई सब्सिडी वर्ष 2009-10 में 19.67% से घटकर 2010-11 में 10.93% हो गई। वर्ष 2011-12 में विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में बुक की गई सब्सिडी पुन: बढ़कर 12.49% हो गई। कंपनियों द्वारा बुक की गई सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में सरकारों द्वारा जारी की गई सब्सिडी वर्ष 2009-10 में 56.08% से बढ़कर 2010-11 में 89.54% हो गई। इस प्रकार इसमें काफी वृद्धि हुई परंतु वर्ष 2011-12 में यह पुन: घटकर 85.42% हो गई। असम (0.00%), आंध्र प्रदेश (50.03%) कर्नाटक (88.40%) और हरियाणा (98.75%) को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने अपनी संबंधित विद्युत वितरण कंपनियों को बुक की गई संपूर्ण सब्सिडी जारी कर दी है।

आपूर्ति की औसत लागत, औसत राजस्व और राजस्व अंतर

आपूर्ति की औसत लागत वर्ष 2009-10 में 3.55 प्रति किलोवाट घंटा से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 3.97 प्रति किलोवाट घंटा और वर्ष 2011-12 में 4.39 प्रति किलोवाट घंटा हो गई। औसत राजस्व (बुक की गई सब्सिडी पर विचार किए बिना) वर्ष 2009-10 में 2.68 प्रति किलोवाट घंटा से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 3.03 प्रति किलोवाट घंटा और वर्ष 2011-12 में 3.31 प्रति किलोवाट घंटा हो गया।

वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए राजस्व अंतर नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

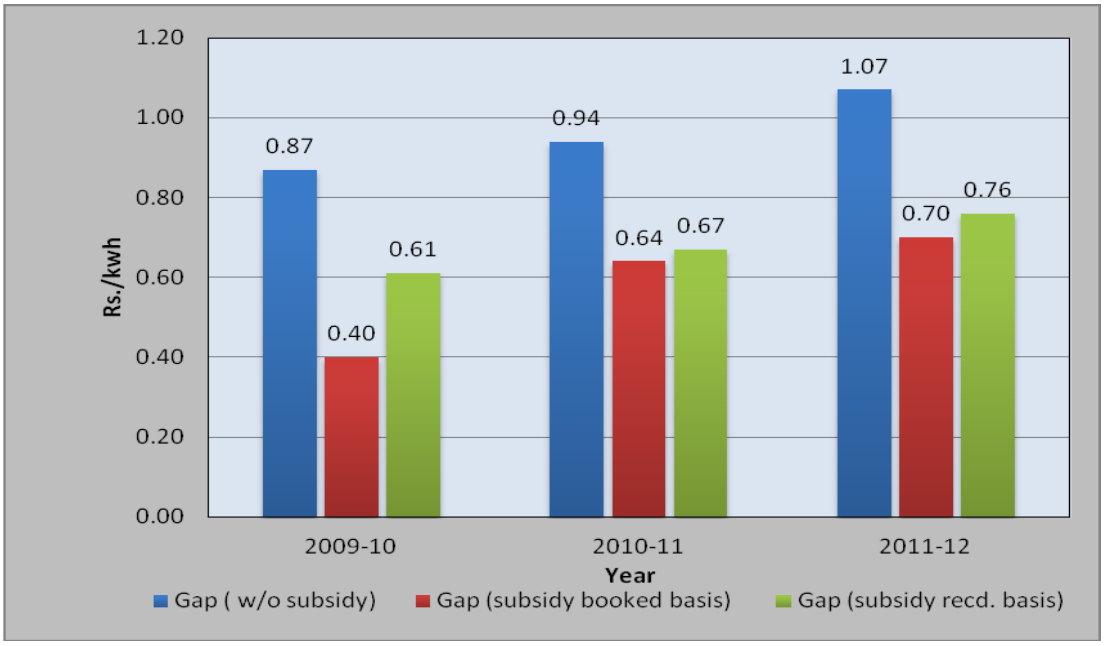

नियोजित पूंजी

इस क्षेत्र में नियोजित कुल पूंजी वित्तीय वर्ष 2010 के अंत में 3,72,936 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2011 के अंत में 4,29,784 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2012 के अंत में 4,70,792 करोड़ रुपए हो गई।

इस क्षेत्र में नियोजित पूंजी का मुख्य स्रोत वित्तीय संस्थानों, बैंकों और बाजार से लिया जाने वाला ऋण बना रहा। कुल नियोजित पूंजी में इन ऋणों की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2010 के अंत में 71% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2011 के अंत में 76% और वित्तीय वर्ष 2012 के अंत में 81% हो गई। राज्य सरकार के ऋण, नियोजित पूंजी में जिनकी हिस्सेदारी दूसरे नंबर पर आती है, वित्तीय वर्ष 2010 के अंत में 12% से घटकर वित्तीय वर्ष 2011 के अंत में 10% और वित्तीय वर्ष 2012 के अंत में पुन: बढ़कर 12% हो गया।

निवल मूल्य

निवल मूल्य 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 14,973 करोड़ रुपए से घटकर 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 5,314 करोड़ रुपया हो गया। निवल मूल्य 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार घटकर 31,812 करोड़ रुपए के साथ नकारात्मक हो गया। इस क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश वर्ष 200-10 में 1,24,258 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 1,41,944 करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 में 20% की वृद्धि दर्शाते हुए 1,70,451 करोड़ रुपए हो गया।

निवल स्थायी परिसंपत्तियां, पूंजीगत डब्ल्यूआईपी (सीडब्ल्यूआईपी) और पूंजीगत व्यय

निवल स्थायी परिसंपत्तियां 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 2,31,812 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 2,96,179 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 3,26,549 करोड़ रुपए हो गईं। संविदाकारों को दिए गए अग्रिमों के साथ-साथ सीडब्ल्यूआईपी 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 96,364 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 1,07,038 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार

1,30,730 करोड़ रुपए हो गया।

पूंजीगत व्यय वर्ष 2009-10 के दौरान 59,022 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर 70,147 करोड़ रुपए हो गया। तथापि, वर्ष 2011-12 में मामूली रुप से घटकर 69,868करोड़ रुपए हो गया।

विद्युत की बिक्री से प्राप्त होने वाला राजस्व

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाले राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी), वितरण कंपनियों (डिसकॉम) और अन्य यूटिलिटी को प्राप्त होने वाला कुल राजस्व 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 64,641 करोड़ रुपए से बढकर 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 80,702 और 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 1,07,750 करोड़ रुपए हो गया। तथापि, विद्युत की बिक्री से प्राप्त होने वाला राजस्व (दिनों की संख्या के संदर्भ में) वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान 109 दिन से घटकर वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान 105 दिन और वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान 102 दिन हो गया है।

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली कंपनियों को प्राप्त होने वाले राजस्व की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

रेंज	कंपनियों की संख्या	
	2010-11	2011-12
60 दिनों से कम	20	20
60 और 90 दिनों के बीच में	10	8
90 दिनों से ज्यादा	24	26

जेनको, ट्रांसको और ट्रेडिंग कंपनियों के लिए विद्युत की बिक्री / पारेषण हेतु डेब्टर का ऋण 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 47,111 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 60,245 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 83,444 करोड़ रुपए हो गया।

विद्युत की खरीद के लिए क्रेडिटर

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली कंपनियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए देय राशियां 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 50,408 करोड़ रुपए से बढकर 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 68,607 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 1,07,553 करोड़ रुपए हो गईं। विद्युत की खरीद के लिए क्रेडिटर वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान 100 दिन की खरीद से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान 116 दिन और वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान 151 दिन हो गए।

वास्तविक, स्थापित क्षमता, उत्पादन

- 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार देश की कुल स्थापित क्षमता 2,23,344 मेगावाट थी। रिपोर्ट में शामिल की गई राज्य क्षेत्र की सभी विद्युत कंपनियों की कुल स्थापित क्षमता 75,818 मेगावाट है, जो देश की कुल स्थापित क्षमता के 34% के बराबर है।

- राज्य क्षेत्र में कुल स्थापित क्षमता में ताप, जलविद्युत और गैस उत्पादन क्षमता का योगदान क्रमश: 59%, 34% और 5% है।

- उत्पादन वर्ष 2010-11 में 3,48,073 मेगा किलोवाट घंटा से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 3,73,191 मेगा किलोवाट घंटा हो गया। ताप विद्युत उत्पादन की हिस्सेदारी लगातार सर्वाधिक बनी रही, यह वर्ष 2011-12 में कुल उत्पादन के 73%, जल विद्युत उत्पादन की हिस्सेदारी 21% और गैस आधारित उत्पादन की हिस्सेदारी 5% रही।

- ताप विद्युत उत्पादन वर्ष 2009-10 में 2,60,667 मेगा किलोवाट घंटा से घटकर वर्ष 2010-11 में 2,55,692 मेगा किलोवाट घंटा हो गया, परंतु वर्ष 2011-12 में पुन- बढ़कर 2,71,864 मेगा किलोवाट घंटा हो गया।

- जल विद्युत उत्पादन वर्ष 2009-10 के दौरान 63,737 मेगा किलोवाट घंटा से तेजी से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 69,824 मेगा किलोवाट घंटा और वर्ष 2011-12 में 76,806 मेगा किलोवाट घंटा हो गया है।

एटी और सी हानियां

राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली विद्युत कंपनियों के लिए एटी और सी हानियों का औसत (%) वर्ष 2010-11 में 26.04% से आंशिक रूप से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 27.00% हो गया। वर्ष 2010-11 में संग्रहण दक्षता 94.16% से घटकर वर्ष 2011-12 में 92.93% हो जाने के कारण वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में एटी और सी हानियों में आंशिक वृद्धि हुई। यदि वर्ष 2011-12 में संग्रहण दक्षता वर्ष 2010-11 के स्तर पर बनाई रखे गई होती, तो वर्ष 2011-12 में एटी और सी हानियों का स्तर 26.04% रहा होता।

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली बिजली कंपनियों के लिए क्षेत्रवार औसत एटी और सी हानियां नीचे दिए अनुसार हैं :-

%

क्षेत्र	2010-11	2011-12
पूर्वी	38.72	42.61
उत्तर - पूर्वी	37.03	34.85
उत्तरी	29.22	31.49
दक्षिणी	19.21	18.62
पश्चिमी	24.47	24.86
राष्ट्रीय	**26.04**	**27.00**

सभी क्षेत्रों के बीच दक्षिणी क्षेत्र में एटी और सी हानियों का स्तर लगातार सबसे कम अर्थात वर्ष 2011-12 में 18.62% रहा ।

वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान एटी और सी हानियों में निम्नलिखित राज्यों ने सुधार प्रदर्शित किया :

तक की कमी	राज्यों की संख्या	राज्यों के नाम
0-2 %	6	उड़ीसा, त्रिपुरा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल और महाराष्ट्र

2-4 %	4	झारखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
4% से अधिक	3	मेघालय, मिजोरम और नागालैंड

निम्नलिखित राज्यों ने एटी और सी हानियों में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में खराब प्रदर्शन किया :

तक की वृद्धि	राज्यों की संख्या	राज्यों के नाम
0-2 %	8	असम, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गोवा और मध्य प्रदेश
2-4 %	3	दिल्ली, उत्तराखंड और गुजरात
4% से अधिक	6	बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पुदुचेरी

खपत पैटर्न

सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बेची गई एकीकृत ऊर्जा (मेगा किलोवाट घंटा) में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में 7.57 % की वृद्धि दर्ज की गई।

कृषि उपभोक्ताओं को बिक्री

कृषि उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में बेची गई कुल ऊर्जा (मेगा किलोवाट घंटा में) के लगभग 23% के बराबर थी। कृषि उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में कुल राजस्व के लगभग 7% के बराबर था।

औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री

औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में बेची गई कुल ऊर्जा (मेगा किलोवाट घंटा में) के लगभग 32% के बराबर थी। औद्योगिक उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में कुल राजस्व के लगभग 45% के बराबर था।

भाग क

प्रस्तावना

I. पृष्ठभूमि

विद्युत किसी देश की आर्थिक कार्यकलापों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। देश के समग्र विकास के साथ-साथ मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विश्वसनीय और गुणवत्ता युक्त विद्युत की उपलब्धता नितांत आवश्यक है। तदनुसार विद्युत क्षेत्र के विकास को राष्ट्रीय आयोजना और संसाधन आवंटन प्रक्रिया में अपेक्षित महत्व दिया गया है।

II. विद्युत क्षेत्र में वृद्धि

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार देश की कुल स्थापित क्षमता 2,23,343 मेगावाट रही। 2012-13 में निर्धारित लक्ष्य 17,965 मेगावाट की तुलना में 20,623 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धि की गयी। (स्रोत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण) यद्यपि निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अधिक क्षमता अभिवृद्धि की गयी, परंतु अभी हाल ही के कुछ वर्षों में वितरण हानियां अधिक होने के कारण देश में वर्ष भर विद्युत की काफी कमी बनी रही। इस संदर्भ में वितरण क्षेत्र में सुधारों को अत्यधिक महत्व दिया गया है।

भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र में त्वरित वृद्धि के उद्देश्य से समर्थकारी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए बहुत से उपाय किये हैं। इन उपायों के बारे में निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

1.0 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम

विद्युत वितरण क्षेत्र को हमेशा से ही विद्युत उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माना जाता रहा है क्योंकि संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता वितरण क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता पर ही निर्भर करती है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली के लिए वितरण क्षेत्र ही पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। परंतु उच्च वाणिज्यिक और तकनीकी हानियों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डाला है।

इस क्षेत्र के वित्तीय कायाकल्प के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2000-2001 में त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीपी) का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत ऐसे राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता उपलब्ध करायी गयी जो समयबद्ध आधार पर वितरण संबंधी सुधार करना चाहते थे। इसके लिए संबंधित राज्यों के साथ विद्युत मंत्रालय द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विभिन्न हस्तक्षेपों और सुझावों को अपनाते हुए उत्कृष्टता

केंद्रों के रूप में पहचान किए गए 63 वितरण सर्किलों को निधियां उपलब्ध करायी गयी।

मार्च 2002 में एपीडीपी को शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और सुधार घटकों को लागू करते हुए एपीडीआरपी के रूप में लागू किया गया। यह प्रोत्साहन योजना ऐसी विद्युत कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गयी, जो नकद हानियों को कम करने के लिए प्रयासरत थीं। इस कार्यक्रम के दौरान एटी और सी हानियां 2001-02 में 38.86% से घटकर 2007-08 में 29.24% हो गयीं। हालांकि हानियों का अभीष्ट स्तर अभी भी काफी अधिक था और इन हानियों को कम करने के लिए और अधिक प्रयास आवश्यक थे। किसी क्षेत्र विशेष में एटी और सी हानियों का वास्तविक सत्यापन करने के लिए राजस्व और ऊर्जा संबंधी विश्वसनीय तथा सत्यापन योग्य आधारभूत आंकड़े भी आवश्यक थे। इसके अलावा वाणिज्यिक और तकनीकी हानि पॉकेट का भी पता लगाना जरूरी था। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्युत कंपनियों द्वारा एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता महसूस की गयी। इस प्रकार एपीडीआरपी कार्यक्रम के पुनर्गठन की भी आवश्यकता महसूस की गयी।

1.1 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर-एपीडीआरपी

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुनर्गठित त्वरित विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के कार्यान्वयन हेतु भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी की मंजूरी विद्युत मंत्रालय के 19 सितंबर 2008 के आदेश के जरिए प्रेषित की गयी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को विद्युत मंत्रालय द्वारा इस योजना के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस योजना में तीन भाग अर्थात भाग-क, भाग -ख और भाग-ग निहित हैं।

1.1.1 भाग-क

भाग-क की योजना 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10,000) से अधिक आबादी वाले सभी कस्बों में विश्वसनीय और सत्यापन योग्य आधार लाइन डेटा एकत्र करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की स्थापना हेतु समर्पित है। भाग-क के अंतर्गत 4 लाख से अधिक आबादी वाले और ऐसे कस्बे जहां 350 मिलियन यूनिट से अधिक वार्षिक ऊर्जा इनपुट आवश्यक है, के लिए एससीएडीए/डीएमएस की स्थापना की भी परिकल्पना की गयी। भाग-क परियोजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत 100% ऋण उपलब्ध कराया जाता है और परियोजनाएं पूर्ण होने तथा विद्युत मंत्रालय/पीएफसी द्वारा नियुक्त की जा रही तृतीय पक्षकार की स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों (टीपीआईइए) द्वारा उसके सत्यापन के पश्चात अनुदान के रूप में परिवर्तित किया गया है।

1.1.2 भाग-ख

भाग-क के अंतर्गत नियमित उप पारेषण और वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं। भाग-ख परियोनाओं के अंतर्गत वितरण हानियों को स्थायी आधार पर कम करने पर जोर दिया जाएगा। ऋण की मंजूरी के लिए भाग-ख परियोजनाओं पर उन्हीं कस्बों

के लिए विचार किया जाएगा जहां भाग-क (सूचना प्रौद्योगिकी) का कार्यान्वयन कर दिया गया है। भाग-ख परियोजनाओं के अंतर्गत 25% ऋण उपलब्ध कराया जाता है और 5 वर्ष के लिए एटी और सी हानियों को 15% के स्तर पर बनाये रखने की शर्त के आधार पर योजना लागत की 50% राशि को अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जाता है बशर्ते कि आरएपीडीआरपी संचालन समिति द्वारा यथानिर्धारित मंजूरी के तीन वर्ष के भीतर परियोजना को पूर्ण किया जाए। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए भारत सरकार द्वारा भाग-ख परियोजनाओं के संदर्भ में 90% ऋण उपलब्ध कराया जाता है और 5 वर्ष के लिए एटी एवं सी हानियों के स्तर को 15% पर बनाये रखने की शर्त के आधार पर भारत सरकार के संपूर्ण ऋण को 5 किस्तों में अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। एटी और सी हानि स्तर को 15% से कम करने पर उस वित्त वर्ष के लिए ऋण को अनुदान के रूप में घटाकर तदनुसार परिवर्तित किया जाएगा। सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में भाग-ख परियोजनाओं के लिए योजना लागत की 10% तक राशि अनुदान के रूप में परिवर्तित की जा सकती है और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में योजना लागत की 18% तक राशि अनुदान के रूप में परिवर्तित की जा सकती है।

1.1.3 भाग-ग

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत विद्युत कंपनियों के कार्मिकों का क्षमता निर्माण और योजना के भाग-ग के जरिए फ्रेंचाइजी के विकास हेतु भी प्रावधान किया गया है। भाग-ग के अंतर्गत नवोद्भव को अपनाते हुए कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं भी शुरू करने की परिकल्पना शुरू की गयी हैं।

1.2 योजना का परिव्यय

कार्यक्रम की लागत 51,577 करोड़ है। भारत सरकार की ओर से इस कार्यक्रम के लिए अनुमानत: 31,577 करोड़ रूपए का कुल अनुदान उपलब्ध कराया गया है। इसके विवरण निम्नानुसार हैं:

- भाग-क और भाग-ख की परियोजनाओं के लिए **50,000 करोड़ रुपए**:
  - भाग-क कार्यकलापों के लिए 10,000 करोड़ रूपए।
  - भाग-ख कार्यकलापों के लिए 40,000 करोड़ रूपए (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत भाग-ख के लिए 40,000 करोड़ रूपए तक की योजनाओं की मंजूरी निर्धारित की है, जिसमें से परियोजना क्षेत्रों में विद्युत कंपनियों द्वाराएटी और सी हानियों को कम करने की सीमा के आधार पर 20,000 करोड़ रूपए तक की राशि को अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जाएगा)।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले समर्थकारी कार्यकलापों के लिए **1,177 करोड़ रूपए** (नोडल एजेंसी का शुल्क, क्षमता निर्माण, नवोदभव को अपनाने वाली परियोजनाओं के लिए) ।
- आधार लाइन डेटा की स्थापना और एटी एवं सी हानियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कम करने के लिए परियोजना क्षेत्रों की विद्युत कंपनियों के स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए

400 करोड़ रूपए।

1.3 नोडल एजेंसी

इस योजना के प्रचालन हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को विद्युत मंत्रालय द्वारा एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नोडल एजेंसी ने प्रक्रिया परामर्शदाता नियुक्त किए हैं और सूचना प्रौद्योगिकी परामर्शदाताओं, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसियों, एससीएडीए/डीएमएस परामर्शदाताओं, एससीएडीए कार्यान्वयन एजेंसियों और तृतीय पक्षकार की स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों- ऊर्जा लेखांकन एजेंसियों का पैनल तैयार किया है।

1.4 कार्यान्वयन की प्रगति (12.06.2013 की स्थिति के अनुसार)

1.4.1 भाग-क (सूचना प्रौद्योगिकी)

भाग-क (सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 29 राज्यों की 47 विद्युत कंपनियों में सभी 1,402 पात्र कस्बों से संबंधित योजनाओं के लिए 5,243 करोड़ रूपए की ऋण राशि स्वीकृत की गयी है और इसमें से 2,323 करोड़ रूपए की राशि संवितरित कर दी गयी है। सभी राज्यों की विद्युत कंपनियों ने सूचना प्रौद्योगिकी परामर्शदाताओं और सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसियों की नियुक्ति कर दी है तथा विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन उन्नत चरण पर है। 320 कस्बों में कार्यान्वयन ('गो लाइव') की घोषणा कर दी गयी है।

<u>नोट</u>: एक कस्बे में 0.60 करोड़ रूपए लागत वाली भाग-क (सूचना प्रौद्योगिकी) योजना के लिए दी गयी मंजूरी को आर-एपीडीआरपी संचालन समिति द्वारा अपनी 18 फरवरी 2013 को आयोजित 27वीं बैठक में निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार अब यह योजना 1,401 कस्बों में कार्यान्वित की जा रही है।

1.4.2 भाग-क (एससीएडीए)

भाग-क(एससीएडीए) के अंतर्गत 65 पात्र कस्बों से संबंधित योजनाओं के लिए 1,470 करोड़ रूपए की राशि पहले ही स्वीकृत कर दी गयी है और इसमें से 412 करोड़ रूपए की राशि संवितरित भी कर दी गयी है। यह योजना 16 राज्यों/28 विद्युत कंपनियों के लिए स्वीकृत की गयी। इनमें से 11 राज्यों ने एससीएडीए कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति कर दी है, जबकि बकाया राज्यों ने एससीएडीए कार्यान्वयन एजेंसियों की नियुक्ति के लिए बोली प्रक्रिया शुरू कर दी है।

1.4.3 भाग-ख के अंतर्गत प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजनाएं

भाग-ख के अंतर्गत 1,171 पात्र कस्बों में 28,429 करोड़ रूपए लागत वाली योजनाएं पहले ही स्वीकृत कर दी गयी हैं और आज की तारीख तक 4,265 करोड़ रूपए की राशि संवितरित कर दी गयी है। ये योजनाएं 22 राज्यों (40 कंपनियों) के लिए स्वीकृत की गयी हैं। इन 1,171 कस्बों

जहां भाग-ख योजनाएं स्वीकृत कर दी गयी हैं, में से 895 कस्बों में कार्यान्वयन हेतु अधिनिर्णय कर दिया गया है और अन्य कस्बों में स्थानीय संसाधनों/बाह्य एजेंसियों के जरिए इनका कार्यान्वयन शुरू किया जा रहा है।

नोट: 37 कस्बों के लिए 1,309.90 करोड़ रूपए लागत वाली भाग-ख योजना के लिए दी गयी मंजूरी को आर-एपीडीआरपी संचालन समिति द्वारा अपनी 18 फरवरी 2013 को आयोजित 27वीं बैठक में निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार अब यह योजना 1,134 कस्बों में कार्यान्वित की जा रही है।

1.4.4 आर-एपीडीआरपी के जरिए एटी और सी हानियों को कम करने का उपाय (पाथ)

भाग-क (सूचना प्रौद्योगिक) परियोजनाओं को फरवरी 2009 से लगातार मंजूरी प्रदान की जा रही है और ऋण को अनुदान के रूप में परिवर्तित करने के लिए मंजूरी की तारीख से 3 वर्ष के भीतर इन्हें पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मानवीय हस्तक्षेप के बिना राजस्व और ऊर्जा के आधार लाइन डेटा की स्थापना हेतु कंपनियों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की स्थापना सुकर बनेगी। इसके अलावा 1,086 कस्बों (15% से अधिक एटी और सी हानियों वाले यथापरिकल्पित 1,100 कस्बों में से) के लिए भाग-ख के अंतर्गत योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी है। इन कस्बों में एटी और सी हानियों के आधार लाइन मूल्यांकन और डेटा संग्रहण के लिए तृतीय पक्षकार की स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियां आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं।

एटी और सी हानियों में कमी का मापन योजना के भाग-क (सूचना प्रौद्योगिकी) के अंतर्गत स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। 5 वर्ष की गणना उपर्युक्त सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की स्थापना के एक वर्ष बाद से शुरू की जाएगी। इन कस्बों में एटी और सी हानियों को 15% से नीचे लाने और भाग-ख परियोजना को मंजूरी की तारीख से 3 वर्ष के भीतर पूरा करने (संचालन समिति द्वारा यथानिर्धारित) से दिशानिर्देशों के अनुसार भाग-ख के लिए उपलब्ध कराए गए संपूर्ण ऋण को अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

2.0 राष्ट्रीय विद्युत निधि

- वितरण क्षेत्र में निवेश के बहुत ही निम्न स्तर को देखते हुए और इस क्षेत्र की पुरानी परिसंपत्तियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) का गठन किया गया है । इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को संवितरित किए गए ऋणों पर 14 वर्ष की अवधि के लिए 8,466 करोड़ रूपए की एकीकृत ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है जिससे कि वे अपने वितरण नेटवर्क में सुधार कर सकें। राष्ट्रीय विद्युत निधि को प्रचालित करने के लिए 05 जुलाई 2012 को दिशानिर्देश जारी किए गए। इस योजना के प्रचालन हेतु ग्रामीण

विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

- इसके लिए पात्रता संबंधी पूर्व शर्तें राज्यों द्वारा किए गए कुछ सुधारात्मक उपायों से जुड़ी हुई हैं और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार संबंधी मानदंडों की प्राप्ति हेतु की गई प्रगति से जुड़ी है।
- ब्याज सब्सिडी की गणना के लिए राज्यों को दो श्रेणियों अर्थात विशेष श्रेणी वाले राज्य और ऐसे राज्य जिनपर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, में वर्गीकृत किया गया है। पात्रता की पूर्व शर्तों में राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) का प्रचालन, समयबद्ध आधार पर विद्युत कंपनियों के कायाकल्प हेतु व्यापारिक योजना तैयार करना, राज्य विद्यत बोर्डों(एसईबी) का पुनर्गठन, सब्सिडी जारी करना, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना और समय पर टैरिफ याचिका दायर करना शामिल हैं।
- ब्याज पर छूट के लिए पात्र प्रत्येक विद्युत कंपनी को सुधारात्मक उपायों अर्थात एटी और सी हानियों में कमी; अंतर को कम करना (आपूर्ति की औसत लागत (ईसीएस) - प्राप्त सब्सिडी आधार पर औसत राजस्व); इक्विटी पर रिटर्न तथा बहु-वर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) के आधार पर अंक दिए जाएंगे।
- इन मानदंडों पर आधारित समेकित रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण किया जाएगा और वे विशेष श्रेणी वाले राज्यों और उन राज्यों, जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, को छोड़कर अन्य राज्यों में 3% से 5% की रेंज में ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों और ऐसे राज्य जहां विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जा रहा है, में 5% से 7% ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। 31 मार्च,2013 के बाद 35% से कम अंक प्राप्त करनेवाली कोई भी विद्युत कंपनी ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी।
- इसकी निगरानी वार्षिक आधार पर की जाएगी और तदनुसार ब्याज सब्सिडी की गणना की जाएगी। आधार लाइन मानदंडों का सत्यापन स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा और ऋण प्रस्तावों पर ब्याज सब्सिडी का अनुमोदन नोडल एजेंसी की सिफारिशों के आधार पर संचालन समिति द्वारा किया जाएगा। विशेष श्रेणी वाले राज्यों और ऐसे राज्यों जहां विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, के विद्युत बोर्डों को भंग करने (अनबंडलिंग) संबंधी शर्तों और उनसे संबंधित वार्षिक लेखाओं को समय पर प्रस्तुत करने संबंधी शर्तों को 3 वर्ष के पश्चात अन्य राज्यों की तरह निर्धारित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय विद्युत निधि की वित्तीय विवक्षाओं (बाध्यताओं) के अंतर्गत 2 वर्ष अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत की गयी वितरण योजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रूपए की राशि के ऋण संवितरण हेतु 14 वर्ष की अवधि के लिए एकीकृत रूप से 8,466 करोड़ रूपए की ब्याज सब्सिडी की शर्त लागू होगी। 8,466 करोड़ रूपए के परिव्यय में ऋणकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी का भुगतान, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार का भुगतान, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को किए गए भुगतान और अन्य अनुषंगी व्यय शामिल होंगे।
- योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एटी और सी हानियां कम होंगी, आपूर्ति की औसत

लागत और प्राप्त सब्सिडी आधार पर औसत राजस्व के बीच अंतर कम होगा, इक्विटी पर बेहतर रिटर्न मिलेगा तथा वितरण क्षेत्र में अधिक निवेश के साथ बहुवर्षीय टैरिफ की अधिसूचना समय पर जारी की जा सकेगी। यह योजना केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को सुकर बनाएगी और राज्य क्षेत्र की वितरण योजना के पुनर्गठन और सुधार हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।

3.0 राज्य की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय पुनर्गठन हेतु योजना

राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा एक योजना तैयार और अनुमोदित की गयी है जिससे कि राज्य की वितरण कंपनियों का वित्तीय कायाकल्प किया जा सके और उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके। इस योजना में केंद्र सकरार द्वारा संक्रमणकालीन वित्तीय व्यवस्था के जरिए प्राप्त सहयोग से उनके ऋण के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय कायाकल्प का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य की वितरण कंपनियों और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय निहित हैं।

3.1 वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन हेतु योजना की प्रमुख विशेषताएं

क. **(i)** 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार बकाया अल्पकालिक देयताओं (एसटीएल) की 50% राशि राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार की जाए। इसे सबसे पहले वितरण कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बांडों के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए जिसमें ऋण प्रदाता भाग लेंगे, इसके लिए राज्य सरकार की विधिवत गारंटी प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण ऋण (एसटीएल का 50%) अधिग्रहित किए जाने तक उपलब्ध राजकोषीय अंतर को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध ढंग से प्रतिभागी ऋण
प्रदाताओं के पक्ष में विशेष प्रतिभूतियां जारी कर अगले 2-5 वर्ष के दौरान राज्य सरकार इन देयताओं का अधिग्रहण करेगी। मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु 3-5 वर्ष के अधिस्थगन काल के साथ 15 वर्ष से अधिक अवधि की डूर-टू-डूर परिपक्वता अवधि उपलब्ध होगी ।

(ii) राज्य सरकार इस भाग के लिए ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु वितरण कंपनियों को पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।

(iii) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विशेष प्रतिभूतियां संगत राज्यों के एफआरवीएम अधिनियम में यथाविहित लक्ष्यों के भीतर विशेष प्रतिभूतियां जारी की जाएं और यदि एफआरवीएम लक्ष्यों के अंतर्गत कर्ज-जीएसडीपी अनुपात सहित राजकोषीय अंतर उपलब्ध है, तो राज्यों को 13वें वित्त आयोग द्वारा यथाविहित फार्मूला के अनुसार वार्षिक रूप से निर्धारित संगत निवल ऋण सीमा (संगत राजकोष में से प्रत्येक के लिए) के भीतर बने रहने की आवश्यकता है।

ख. एसटीएल की बकाया 50% देयताओं को ऋण प्रदाताओं द्वारा पुन: अनुसूचित किया जाएगा और उसकी वसूली मूलधन पर 3 वर्ष के अधिस्थगन काल सहित वितरण कंपनियों से की

जाएगी । मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार की गारंटी द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वितरण कंपनियों के प्रचालन की व्यवहार्यता में सुधार करने के उद्देश्य से पुन: अनुसूचित ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु यथासंभव अवधि बढ़ायी जाए।

ग. वितरण कंपनियों के प्रचालनात्मक निष्पादन में सुधार करने के लिए वितरण कंपनियों/राज्यों द्वारा ऋण के पुनर्गठन/पुन: अनुसूची तैयार करने हेतु ठोस और मापनीय कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार/वितरण कंपनियों को इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और योजना में निहित अनिवार्य और अनुसंशित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

घ. योजना में दी गयी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन पुनर्गठन संबंधी प्रयासों में सहयोग के लिए केंद्र सरकार द्वारा संक्रमणकालीन वित्तीय व्यवस्था(टीएफएम) की सुविधा उपलब्ध है। टीएफएम की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हानि लक्ष्य से अधिक त्वरित एटी और सी हानि कम करके बचायी गयी अतिरिक्त ऊर्जा के मूल्य के समतुल्य अनुदान के रूप में तरलता सहयोग उपलब्ध कराने के लिए)।

- अनुदान के लिए पात्रता केवल तभी बनेगी जब वर्ष के लिए एआरआर और एसीएस के बीच अंतर को वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में मूल्यांकन वर्ष के दौरान कम से कम 25% तक घटाया गया हो।
- यह योजना केवल तीन वर्ष के लिए उपलब्ध होगी, इसकी शुरूआत वर्ष 2012-13 से की जाएगी।

(ii)योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गयी देयता पर राज्य सरकार द्वारा मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु 25% की पूंजी प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में प्रोत्साहन। इस राशि की प्रतिपुर्ति केवल उस मामले में की जाएगी जब राज्य सरकार 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया अल्पकालिक देयताओं (संचित हानियों के अनुरूप) की संपूर्ण 50% राशि का अधिग्रहण करती है। ऊपर बताये अनुसार संक्रमणकालीन वित्तीय व्यवस्था के लिए विस्तृत दिशानिर्देश अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

ड़. प्रचालनात्मक हानियों और घटते क्रम में पहले तीन वर्ष के लिए ब्याज के वित्तपोषण हेतु एमओपी और संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ सचिव, डीएफएस द्वारा आयोजित अपेक्षित परामर्श बैठक के पश्चात एक अलग व्यवस्था बनायी जाएगी। प्रचालनात्मक हानियों के शेष भाग के लिए संगत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

च. कायाकल्प योजना की प्रगति की निगरानी के लिए तृतीय पक्षकार के मूल्यांकनकर्ता सहित क्रमश: राज्य और केंद्र स्तर पर दो समितियां गठित की जानी हैं।

4.0 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी)

लगभग 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास हेतु विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 'नोडल एजेंसी' के रूप में नामित किया गया है। ऐसी 16 यूएमपीपी की पहचान की गयी है, जो क्रमश: मध्य प्रदेश

(सासन), गुजरात (मुंद्रा), आंध्र प्रदेश (कृष्णपट्टणम) झारखंड (तिलैया), छत्तीसगढ़ (सर्गुजा), उड़ीसा (सुंदरगढ़), कर्नाटक, महाराष्ट्र (मुंगे), तमिलनाडु (चेय्यूर), उड़ीसा में 2 अतिरिक्त यूएमपीपी, बिहार में 1 यूएमपीपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और झारखंड में दूसरी यूएमपीपी के रूप में स्थापित की जाएंगी।

यूएमपीपी भारत सरकार की एक पहल है जिसमें यूएमपीपी के विकास हेतु विद्युत मंत्रालय एक 'सुविधाप्रदाता' है जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) 'तकनीकी भागीदार' है। अब तक इन परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया के संचालन हेतु आवश्यक आरंभिक स्थल अन्वेषण संबंधी कार्यकलाप करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा 13 विशेष उद्देश्य वाहनों (एसपीवी) की स्थापना की गयी है। कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के जरिए चयनित सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को ये विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) हस्तांतरित किए जाएंगे। चार (4) विशेष उद्देश्य वाहन अर्थात गुजरात में मुद्रा यूएमपीपी के लिए कोस्टल गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश में सासन यूएमपीपी के लिए सासन पावर लिमिटेड, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टणम यूएमपीपी के लिए कोस्टल आंध्रा पावर लिमिटेड और झारखंड में तिलैया यूएमपीपी के लिए झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड को नीचे दर्शाये अनुसार सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिया गया है :

क्र. सं.	एसपीवी का नाम	सफल बोलीदाता	हस्तांतरण की तारीख
1	कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	22.04.2007
2	सासन पावर लिमिटेड	रिलायंस पावर लिमिटेड	07.08.2007
3	कोस्टल आंध्र पेदश लिमिटेड	रिलायंस पावर लिमिटेड	29.01.2008
4	झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	रिलायंस पावर लिमिटेड	07.08.2009

छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) मार्च 2010 में जारी किए गए और उड़ीसा यूएमपीपी के लिए आरएफक्यू जून 2010 में जारी किए गए। उड़ीसा यूएमपीपी के लिए आरएफक्यू के रूझान 1 अगस्त 2011 को प्राप्त हुए। विद्युत मंत्रालय द्वारा मानक बोली दस्तावेज उपलब्ध कराने के पश्चात इस परियोजना के लिए आरएफपी जारी किए जाएंगे। इस बोली प्रक्रिया में उत्साहजनक प्रतिभागिता और सफल बोलीदाताओं द्वारा अब तक उद्घृत उच्च प्रतिस्पर्धी टैरिफ यूएमपीपी के लिए अपनायी जाने वाली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया की कुशल दक्षता के द्योतक हैं।

खंड ख

सूचना की उपलब्धता की कार्य प्रणाली और स्थिति

I संभावनाएं और विस्तार क्षेत्र

पीएफसी द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के निष्पादन पर तैयार की गयी रिपोर्ट में राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियां और सभी राज्यों के विद्युत विभागों के साथ-साथ पोंडिचेरी संघ राज्य और सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप सृजित निजी वितरण कंपनियां (दिल्ली और उड़ीसा में स्थापित डिस्कॉम) शामिल हैं। रिपोर्ट में शामिल कंपनियों की संख्या वर्ष 2009-10 के लिए 90, एचपीएसईवी, पीएसीईबी, टीएनईबी और एमईएसईबी को भंग किए जाने के कारण 2010-11 के लिए 93 और 2011-12 के लिए 91 है। इस रिपोर्ट में ऐसी कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है, जो एकीकृत प्रचालन अर्थात सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, खनन आदि के भाग के रूप में विद्युत का कारोबार करती हैं।

II इनपुट

रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से इन कंपनियों द्वारा पीएफसी को उपलब्ध कराए गए वार्षिक लेखाओं (लेखापरीक्षित/ अनांकेक्षित/अनंतिम) को प्राथमिक इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। राज्य के विद्युत विभागों/राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों द्वारा योजना आयोग को उपलब्ध करायी गयी वार्षिक संसाधन योजना को सभी राज्यों के विद्युत विभागों और राज्य क्षेत्र की ऐसी विद्युत कंपनियों जो अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं करती हैं, के संदर्भ में इस रिपोर्ट के लिए इनपुट के रूप में माना जाता है। यह नोट किया जाए कि वार्षिक संसाधन योजनाओं में सीमित सूचना उपलब्ध होती है और वह आगामी वर्षों में परिवर्तित हो सकती है। जब कभी अनंतिम लेखे उपलब्ध कराये जाते हैं तो उनकी लेखा परीक्षण करवाना आवश्यक होती है और वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देते समय उनमें निहित सूचना परिवर्तित हो सकती है।

राज्य विद्युत बोर्डों के वार्षिक लेखे विद्युत आपूर्ति वार्षिक लेखा नियमावली (ईएसएसएआर) के अनुसार तैयार किए गए हैं। भंग की गयी निगमित कंपनियों के वार्षिक लेखे कंपनी अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। भंग की गयी निगमित विद्युत कंपनियों के वार्षिक लेखाओं में सामान्यत: राज्य सरकारों से प्राप्त सब्सिडी, उपभोक्ता श्रेणीवार विद्युत की बिक्री और राजस्व, एटी और सी हानियों से संबंधित सूचना तथा अन्य तकनीकी विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। इसके लिए पीएफसी द्वारा इन विद्युत कंपनियों से अलग से अनुरोध किया जाता है। इस रिपोर्ट के उद्देश्य

से ऐसी कंपनियों द्वारा लिखित में अथवा मौखिक रूप से दी गयी अतिरिक्त सूचना को इनपुट के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस रिपोर्ट में राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संबंधित कंपनियों की बेबसाइटों पर उपलब्ध सूचना और वार्षिक निष्पादन समीक्षा के दौरान प्राप्त सूचना पर भी विश्वास किया जाता है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 447(ई) के जरिए अनुसूची VI को संशोधित किया है। वर्ष 2011-12 के लिए कुछ कंपनियों के लेखाओं को संशोधित अनुसूची VI के अनुसार अंतिम रूप दिया गया है जबकि कुछ कंपनियों के लेखे पूर्व संशोधित अनुसूची VI के अनुसार तैयार किए गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ वित्तीय सूचना के प्रस्तुतीकरण की पुरानी योजना को रिपोर्ट में जारी रखा गया है जिससे कि आगे आने वाले वर्षों में उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। इनपुट की उपलब्धता संबंधी विस्तृत जानकारी **तालिका-1** के रूप में संलग्न है।

III ऐसी विद्युत कंपनियों के संदर्भ में सूचना जिनके प्रचालन का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है

चार राज्यों के राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) को भंग किया गया। मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड (एमईएसईबी) को 1 अप्रैल, 2010 से भंग किया गया। हालांकि इसके उत्तराधिकारी के रूप में मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईईसीएल) के वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए वार्षिक लेखे सभी तीनों प्रचालन अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए तैयार किए गए।

इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को 14 जून, 2010 से भंग किया गया और इसके उत्तराधिकारी के रूप में एचपीएसईबी लिमिटेड के वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए वार्षिक लेखे सभी तीनों प्रचालनों के लिए तैयार किए गए।

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी) को 1 अप्रैल, 2010 से भंग किया गया। इसकी दो उत्तराधिकारी कंपनियां अर्थात पंजाब स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उत्पादन और वितरण कार्यकलाप) और पंजाब राज्य पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीटीसीएल) गठित की गयीं। पीएसपीटीसीएल के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए इसे इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। चूंकि ट्रांसमिशन कंपनी के लिए राजस्व, लाभ, कर्जदार आदि अपेक्षाकृत कम हैं, अत: इसे शामिल न करने से इस क्षेत्र के एकीकृत आंकड़ों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को 1 नबंबर, 2010 से भंग किया गया है और तमिलनाडु जेनरेशन और

डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) और तमिलनाडु ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीएएनटीआरएएनएससीओ) बनायी गयी हैं।

त्रिपुरा ने अपने विद्युत विभाग का निगमीकरण किया है और अब इसे त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता है।

चूंकि टीवीएनएल के लिए लेखे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, अत: वर्ष 2011-12 के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की थर्मल समीक्षा से लिए गए उत्पादन, स्थापित क्षमता संबंधी तकनीकी विवरणों पर ही इस रिपोर्ट के लिए विचार किया गया है।

IV कार्यप्रणाली

उपलब्ध सूचना का विश्लेषण आवश्यकतानुसार कंपनीवार अथवा राज्यवार ढंग से किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण के उद्देश्य से जहां उपयुक्त समझा गया है वहां क्षेत्रवार कुल आंकड़े/औसत दर्शाया गया है। रिपोर्ट में वर्ष 2011-12 पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए विद्युत कंपनियों के निष्पादन को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में नकारात्मक आंकड़ों को कोष्ठक में दर्शाया गया है।

इस बात को नोट किया जाए कि सभी राज्यों में अभी भी बहुत से ऐसे उपभोक्ता उपलब्ध हैं जिनके घरों में मीटर नहीं लगे हैं। इसके अलावा ज्यादातर मामलों में वार्षिक लेखाओं में इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है और इससे संबंधित सूचना विद्युत कंपनियों द्वारा अलग से प्राप्त की जाती है । इस प्रकार उपभोक्ता श्रेणीवार बिक्री से संबंधित सूचना का इस्तेमाल करते समय अपेक्षित सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करनेवाली विद्युत कंपनियों के लिए एटी और सी हानियों की गणना हेतु कार्यप्रणाली का निर्धारण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करके किया गया है। संशोधित कार्यप्रणाली के अनुसार इनपुट ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) को पारेषण हानियों (एमकेडब्ल्यूएच) और ट्रेडित ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) के लिए समायोजित किया गया है। इसी प्रकार ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को भी ट्रेडित ऊर्जा से प्राप्त राजस्व के लिए समायोजित किया गया है।

इस बात को नोट किया जाए कि सभी राज्यों में अभी भी बहुत से ऐसे उपभोक्ता उपलब्ध हैं जिनके घरों में मीटर नहीं लगे हैं और ज्यादातर मामलों में एटी एंड सी हानियों की गणना करने के लिए वार्षिक लेखाओं में इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। इससे संबंधित सूचना विद्युत कंपनियों द्वारा अलग से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार एटी और सी हानियों से संबंधित सूचना का इस्तेमाल करते समय अपेक्षित सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।

वार्षिक लेखाओं में उपलब्ध सूचना के आधार पर झारखंड में एटी और सी हानियों में तीव्र वृद्धि हुई है और ये 2009-10 में 10.43% से बढ़कर 2010-11 में 46.79% हो गयी हैं। वर्ष 2009-10 में संग्रहण क्षमता 136.29% थी जो वर्ष 2010-11 में 79.87% की तुलना में बहुत अधिक है। अत: इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में उपलब्ध सूचना के आधार पर वहां एटी और सी हानियों में तीव्र वृद्धि हुई है और ये वर्ष 2010-11 में 47.44% से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 64.52% हो गयी हैं। वर्ष 2011-12 में 69% की तुलना में वर्ष 2010-11 में संग्रहण क्षमता 96% थी।

एनडीपीएल, एपीसीपीडीसीएल, एपीएसपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के संबंध में एटी और सी हानियों की गणना के लिए प्राप्तियों के आंकड़ों में भावी टैरिफ से प्राप्त होने वाली राशियां शामिल हैं। इनका समायोजना बकाया कर्जदारों के आंकड़ों से किया गया है।

वास्तविक और वित्तीय मानदंडों पर क्षेत्रीय निष्पादन के मूल्यांकन के अलावा रिपोर्ट में अनुषंगी खपत, राजस्व अंतर और अन्य कई वित्तीय सूचकांकों जैसे प्राप्तियों के स्तर, ऋण और इक्विटी, इक्विटी पर रिटर्न, निवल मूल्य, नियोजित पूंजी आदि से संबंधित विवरण भी उपलब्ध कराये गए हैं ।

विभिन्न शब्दावलियों और मानदंडों को **तालिका II** में परिभाषित किया गया है।

तालिका I: वार्षिक लेखाओं की स्थिति

	राज्य	कंपनी	2009-10	2010-11	2011-12
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	बीएसईबी	ए	ए	पी
	झारखंड	जेएसईबी	ए	ए	*पी*
	उड़ीसा	जीआरआईडीसीओ	ए	ए	ए
		ओपीटीसीएल	ए	ए	*पी*
		एनईएससीओ	ए	ए	ए
		ओएचपीसी	ए	ए	ए
		ओपीजीसीएल	ए	ए	ए
		एसईएससीओ	ए	ए	ए
		सीईएसयू	ए	ए	ए
		डब्ल्यूईएससीओ	ए	ए	ए
	सिक्किम	सिक्किम *पीडी*	*आरपी*	*आरपी*	***आरपी***
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	ए	ए	ए
		डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	ए	ए	ए
		डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	ए	ए	ए
पूर्वोत्तर क्षेत्र	असम	एपीजीसीएल	ए	ए	पी
		एईजीसीएल	ए	ए	ए
		एपीडीसीएल (1.4.2009 से)	ए	ए	ए
	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश पीडीडी	*आरपी*	*आरपी*	***आरपी***
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	*आरपी*	*आरपी*	***आरपी***
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	*आरपी*	*आरपी*	***आरपी***
	नागालैंड	नागालैंड *पीडी*	*आरपी*	*आरपी*	***आरपी***
	त्रिपुरा	त्रिपुरा *पीडी/टीएसइसीएल*	*आरपी*	*आरपी*	***आरपी***
	मेघालय	*एमईएसईबी*	ए	-	-
		एमईईसीएल	-	***पी***	***पी***
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	*दिल्ली ट्रांसको*	ए	ए	ए
		इंद्रप्रस्थ	ए	ए	ए
		एनडीपीएल	ए	ए	ए
		बीएसईएस राजधानी	ए	ए	ए
		बीएसईएस यमुना	ए	ए	ए
		प्रगति	ए	ए	ए
	हिमालचल प्रदेश	*एचपीएसईबी* (14.6.2010 से भंग)	ए	***पी***	-

	राज्य	कंपनी	2009-10	2010-11	2011-12
		एचपीएसईबी लिमिटेड **(14.6.2010**	-	***पी***	***पी***
	हरियाणा	*डीएचबीवीएनएल*	**ए**	***पी***	***पी***
		एचपीजीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एचवीपीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
		यूएचबीवीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
	जम्मू और कश्मीर	*जे एंड के पीडीसीएल*	*पी*	*पी*	***पी***
		जे एंड के पीडीडी	*आरपी*	*आरपी*	***आरपी***
	पंजाब	*पीएसईबी*	**ए**	-	-
		पीएसपीसीएल 1.4.2010 से	-	**ए**	***पी***
	राजस्थान	*एवीवीएनएल*	**ए**	**ए**	**ए**
		जेडीवीवीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
		जेवीवीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
		आरआरवीपीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
		आरआरवीयूएनएल	**ए**	**ए**	***पी***
	उत्तर प्रदेश	*यूपीजेवीएनएल*	**ए**	***पी***	***पी***
		यूपीपीसीएल	*पी*	*पी*	***पी***
		यूपीआरवीयूएनएल	**ए**	**ए**	***पी***
		यूपीपीपटीसीएल	**ए**	*पी*	***पी***
		एमवीवीएनएल	*पी*	*पी*	***पी***
		पूर्व वीवीवएनएल	*पी*	*पी*	***पी***
		पश्चिम वीवीएनएल	*पी*	*पी*	***पी***
		डीवीवीएनएल	*पी*	*पी*	***पी***
		केईएससीओ	**ए**	**ए**	**ए**
	उत्तरांचल	यूटीपीसीएल	**ए**	**ए**	***पी***
		यूटी ट्रांसको	**ए**	**ए**	**ए**
		यूजेवीएनएल	**ए**	**ए**	***पी***
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एपीईपीडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एपीजेनको	**ए**	**ए**	**ए**
		एपीएनपीडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एपीएसपीडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एपीट्रांसको	**ए**	**ए**	**ए**

	राज्य	कंपनी	2009-10	2010-11	2011-12
	कर्नाटक	बेसकॉम	ए	ए	ए
		जेसकॉम	ए	ए	ए
		हेसकॉम	ए	ए	ए
		केपीसीएल	ए	ए	ए
		केपीटीसीएल	ए	ए	ए
		मेसकॉम	ए	ए	ए
		चामुंडेश्वरी डिसकॉम	ए	ए	ए
	केरल	केएसईबी	ए	ए	***पी***
	पुदुचेरी	पुदुचेरी पीडी	आरपी	आरपी	***आरपी***
		पुदुचेरी पीसीएल	आरपी	आरपी	***आरपी***
	तमिलनाडु	टीएनईबी **1.11.2010 से भंग**	ए	***पी***	**-**
		टीएएनजीईडीसीओ	**-**	ए	***पी***
		टीएएनटीआरएएनएससीओ	**-**	ए	***पी***
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	सीएसपीजीसीएल	ए	ए	ए
		सीएसपीटीसीएल	ए	ए	**पी**
		सीएसपीडीसीएल	ए	ए	**पी**
	गोआ	गोआ पीडी	आरपी	आरपी	***आरपी***
	गुजरात	पीजीवीसीएल	ए	ए	ए
		डीजीवीसीएल	ए	ए	ए
		एमजीवीसीएल	ए	ए	ए
		यूजीवीसीएल	ए	ए	ए
		जीईटीसीओ	ए	ए	ए
		जीएसईसीएल	ए	ए	ए
		जीयूवीएनएल	ए	ए	ए
	मध्य प्रदेश	एमपीपीपटीसीएल	ए	ए	ए
		एम.पी. पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	ए	ए	ए
		एम.पी. पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	ए	ए	ए
		एम.पी. मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	ए	ए	ए

	राज्य	कंपनी	2009-10	2010-11	2011-12
		एमपीपीपजीसीएल	ए	ए	ए
	महाराष्ट्र	एमएसपीटीसीएल	ए	ए	ए
		एमएसईडीसीएल	ए	ए	ए
		एमएसपीजीसीएल	ए	ए	ए

नोट: ए : लेखा परीक्षित पी : अनंतिम आरपी : योजना आयोग संसाधन योजना

नोट: मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड (एमईएसईबी) को 1 अप्रैल 2010 से भंग किया गया। हालांकि इसके उत्तराधिकारी के रूप में मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईईसीएल) के वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए वार्षिक लेखे सभी तीनों प्रचालन अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए तैयार किए गए।

नोट: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को 14 जून, 2010 से भंग किया गया और इसके उत्तराधिकारी के रूप में एचपीएसईबी लिमिटेड के वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए वार्षिक लेखे सभी तीनों प्रचालनों के लिए तैयार किए गए।

नोट: पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी) को 1 अप्रैल, 2010 से भंग किया गया। इसकी दो उत्तराधिकारी कंपनियां अर्थात पंजाब स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उत्पादन और वितरण कार्यकलाप) और पंजाब राज्य पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीटीसीएल) गठित की गयीं। पीएसपीटीसीएल के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए इसे इस रिपोर्ट में इन्हें शामिल नहीं किया गया है।

तालिका II : परिभाषाएं

	मानदंड		परिभाषा
1	पीएलएफ (थर्मल) (%)	=	उत्पादित ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) (थर्मल) x 10^5 / स्थापित क्षमता (थर्मल) (मेगावाट) x 8,760
2	कुल इनपुट ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) • एसईबी/पीडी के लिए	=	उत्पादित ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) - सहायक खपत (एमकेडब्ल्यूएच) + खरीदी गयी ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) खरीदी गयी ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) + निवल उत्पादन

	मानदंड		परिभाषा
	• डिस्कॉम/ट्रेडिंग कंपनियों के लिए • ट्रांसको के लिए	= =	(एमकेडब्ल्यूएच), यदि कोई है खरीदी गयी ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) + निवल उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच), यदि कोई है अथवा कुल प्रेषित ऊर्जा
3	एसईबी/पीडी/डिस्कॉम के लिए एटी एंड सी हानियां(%) • कुल इनपुट ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) • ऊर्जा की निवल बिक्री (एमकेडब्ल्यूएच) • ऊर्जा की बिक्री से निवल राजस्व (करोड़ रूपए में) • संग्रहण दक्षता (%)	= = = =	कुल इनपुट ऊर्जा (पारेषण हानियों और ट्रेडित ऊर्जा के लिए समायोजित) कुल बेची गयी ऊर्जा (ट्रेडित ऊर्जा के लिए समायोजित) ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व (ट्रेडित ऊर्जा से प्राप्त राजस्व के लिए समायोजित) ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त निवल राजस्व - विद्युत की बिक्री के लिए कर्जदारों में परिवर्तन x100 ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त निवल राजस्व
	• प्राप्त की गयी ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) • एटी एंड सी हानियां (%) (एसईबी/पीडी/डिस्कॉम के लिए)	= =	ऊर्जा की निवल बिक्री(एमकेडब्ल्यूएच) x ऊर्जा दक्षता निवल इनपुट ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) - प्राप्त की गयी ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) x 100 निवल इनपुट ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच)
4	सहायक खपत (%)	=	सहायक खपत (एमकेडब्ल्यूएच) x100 कुल उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच)
5	कुल आय	=	विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व + सब्सिडी को छोड़कर अन्य आय
6	सब्सिडी के बिना पीएटी	=	पीएटी- बुक की गयी सब्सिडी

	मानदंड		परिभाषा
7	नकद लाभ	=	पीएटी + मूल्यह्रास + बट्टेखाते में डाले गए विविध व्यय + आस्थगित कर
8	नकद लाभ (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर)	=	नकद लाभ - बुक की गयी सब्सिडी + प्राप्त की गयी सब्सिडी
9	नकद लाभ (सब्सिडी/प्राप्त किए गए राजस्व के आधार पर)	=	नकद लाभ - बुक की गयी सब्सिडी + प्राप्त की गयी सब्सिडी + विद्युत की बिक्री के लिए कर्जदारों में परिवर्तन
10	निवल मूल्य	=	इक्विटी + आरक्षित निधियां + एसीसी. लाभ/ हानियां - बट्टेखाते में डाले गए विविध व्यय
11	नियोजित पूंजी	=	निवल मूल्य + कुल ऋण + उपभोक्ता अंशदान + अनुदान
12	विद्युत की बिक्री के लिए कर्जदार	=	विद्युत की बिक्री के लिए कर्जदार- संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान
13	विद्युत की बिक्री के लिए कर्जदार (दिनों की संख्या)	=	विद्युत की बिक्री के लिए कर्जदार x 365 / विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व
14	विद्युत की खरीद के लिए क्रेडिटर	=	विद्युत की खरीद के लिए क्रेडिटर x 365 / विद्युत की खरीद के लिए व्यय
15	वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय	=	सकल स्थायी परिसंपत्तियां + पूंजीगत डब्ल्यूआईपी + संविदाकार को अग्रिम - मुक्त सकल स्थायी परिसंपत्तियां - अथशेष पूंजीगत डब्ल्यूआईपी - संविदाकार को मुक्त अग्रिम
16	इक्विटी पर रिटर्न (%)	=	पीएटी x 100 / इक्विटी
17	निवल मूल्य पर रिटर्न (%)	=	पीएटी x 100 / निवल मूल्य
18	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	=	ब्याज व्यय से पूर्व लाभ x100 / नियोजित पूंजी

	मानदंड		परिभाषा
19	कर्ज इक्विटी अनुपात	=	कुल कर्ज / निवल मूल्य
20	आपूर्ति की औसत लागत (रूपए/केडब्ल्यूएच)	=	कुल व्यय / कुल इनपुट ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)
21	औसत राजस्व (रूपए/केडब्ल्यूएच)	=	विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) + अन्य आय / कुल इनपुट ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)
22	अंतर(रूपए/केडब्ल्यूएच)	=	एसीएस - औसत राजस्व (रूपए/केडब्ल्यूएच)

बुक की गयी सब्सिडी अथवा प्राप्त की गयी सब्सिडी के साथ आय/लाभ और लाभप्रदता अनुपात और सब्सिडी के बिना अंतर की गणना के लिए बुक की गई सब्सिडी और प्राप्त की गई सब्सिडी, जैसा भी मामला हो, के लिए आय/लाभ /अंतर को समायोजित किया गया है।

भाग ग

अध्याय 1

वित्तीय मानदंडों पर आधारित निष्पादन

1.0 प्रस्तावना

भारतीय विद्युत उद्योग भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक उद्योग है, क्योंकि यह बहुत से अन्य उद्योगों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह अवसंरचना के महतवपूर्ण घटकों में से एक ऐसा घटक है जो हमारे राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और भलाई को प्रभावित करता है। इस क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण इस खंड में किया गया है।

1.1 विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व

सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करनेवाले राज्य विद्युत बोर्डों, राजकीय विद्युत विभागों और वितरण कंपनियों (डिसकॉम) के लिए विद्युत की बिक्री से प्राप्त एकीकृत राजस्व 2009-10 में 1,72,948 करोड़ रूपए से बढ़कर 2010-11 में 2,07,347 करोड़ रूपए और 2011-12 में 2,42,189 करोड़ रूपए हो गया। इस प्रकार इसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 2010-11 में 19.89% और वर्ष 2011-12 में 16.80% की वृद्धि दर्ज की गई।

इन वितरण कंपनियों द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमश: 5,28,086 एमकेडब्ल्यूएच, 5,78,698 एमकेडब्ल्यूएच और 6,22,504 एमकेडब्ल्यूएच ऊर्जा की बिक्री की गई। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर इसमें 2010-11 में 9.58% और 2011-12 में 7.57% की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2011-12 के दौरान विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व में वृद्धि की क्षेत्रवार दर और बिक्री की गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

	2011-12	
क्षेत्र	बिक्री की गई ऊर्जा में वृद्धि (%)	राजस्व में वृद्धि (%)
पूर्वी क्षेत्र	1.46	23.17
पूर्वोत्तर क्षेत्र	9.32	18.25
उत्तरी क्षेत्र	7.26	16.02
दक्षिणी क्षेत्र	6.24	13.18
पश्चिमी क्षेत्र	11.08	18.95
कुल	**7.57**	**16.80**

सभी क्षेत्रों में बिक्री की गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) की तुलना में विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व (रूपए करोड़ में) उच्चतर वृद्धि इस बात की सूचक है कि टैरिफ के जरिए वसूली में सुधार हुआ है।

उपर बताए अनुसार विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व में राज्य सरकार की सब्सिडी, मीटर प्रभार, व्हिलिंग और अन्य प्रभार आदि शामिल नहीं हैं।

(अनुलग्नक 1.1.0)

1.2 कंपनियों की आय, व्यय और लाभप्रदता

1.2.1 उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करनेवाली विद्युत कंपनियां

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली विद्युत कंपनियों के एकीकृत टर्नओवर (विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व और अन्य आय परंतु बुक की गयी सब्सिडी को छोड़कर) में वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि हुई है। इसमें 2010-11 में 19.94% और 2011-12 में 17.36% की वृद्धि दर्ज की गई।

इन विद्युत कंपनियों के एकीकृत व्यय में वर्ष दर वर्ष आधार पर 2010-11 में 18.54% और 2011-12 में 18.57% की वृद्धि दर्ज की गई । लागत की वसूली (मूल्यह्रास सहित) नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गयी है :-

	2009-10	2010-11	2011-12
सब्सिडी को छोड़कर कुल आय (करोड़ रूपए में)	1,90,698	2,28,731	2,68,447
कुल व्यय (करोड़ रूपए में)	2,52,932	2,99,815	3,55,501
लागत की वसूली (%)	75.39%	76.29%	75.51%

इन कंपनियों की एग्रीगेट बुक हानियों में काफी वृद्धि हुई है। ये वर्ष 2009-10 में 28,548 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 49,235 करोड़ रूपए हो गयीं और वर्ष 2011-12 में

ये हानियां और बढ़कर 57,811 करोड़ रूपए हो गयीं। एकीकृत नकद हानियां (राजस्व और प्राप्त सब्सिडी के आधार पर) वर्ष 2009-10 में 44,718 करोड़ रूपए से बढ़कर 2010-11 में 59,608 करोड़ रूपए हो गयीं और वर्ष 2011-12 में ये भारी वृद्धि के साथ 81,186 करोड़ रूपए तक पहुंच गयीं।

प्राप्त सब्सिडी आधार पर एकीकृत हानियां वर्ष 2009-10 में 43,488 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 51,606 करोड़ रूपए हो गयीं। वर्ष 2011-12 में इनमें भारी वृद्धि हुई और गत वर्ष की तुलना में 20.57% की वृद्धि के साथ ये 62,221 करोड़ रूपए तक पहुंच गयीं।

इन कंपनियों की छूट पर विचार किए बिना एकीकृत हानियां वर्ष 2009-10 में 62,563 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 71,901 करोड़ रूपए हो गयीं। वर्ष 2011-12 में ये हानियां और बढ़कर 88,053 करोड़ रूपए हो गयीं।

(अनुलग्नक 1.2.1 से 1.2.3)

1.2.2 जेनको/ट्रांसको/ट्रेडिंग कंपनियां

इन कंपनियों का एकीकृत टर्नओवर (सब्सिडी को छोड़कर कुल आय) वर्ष 2009-10 में 1,07,818 करोड़ रूपए, 2010-11 में 1,21,367 करोड़ रूपए और वर्ष 2011-12 में 1,49,572 करोड़ रूपए था।

इन कंपनियों को वर्ष 2009-10 में 1,881 करोड़ रूपए की एकीकृत बुक हानि हुई जो 2010-11 में बढ़कर 2,367 करोड़ रूपए हो गयी। 2011-12 में हानियां और अधिक बढ़कर 4,770 करोड़ रूपए तक पहुंच गयीं। यह वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में वितरण कंपनियों की हानियां बढ़ने के कारण हुई है।

(अनुलग्नक 1.3.1 से 1.3.3)

1.3 कंपनियों का समग्र वित्तीय निष्पादन - राज्यवार

1.3.1 बुक लाभ/हानियां

इन सभी कंपनियों की बुक हानियां (संचित आधार पर) वर्ष 2009-10 में 30,430 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 51,602 करोड़ रूपए और 2011-12 में 62,581 करोड़ रूपए हो गयीं।

ऐसे राज्य जिन्होंने वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में बुक लाभ में वृद्धि के संदर्भ में काफी सुधार (100 करोड़ रुपए से अधिक) दर्शाया है अथवा बुक हानियों को कम किया है, उनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं।

ऐसे राजस्व जिन्होंने वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में अपने बुक लाभ में कमी/हानि (100 करोड़ रुपए से अधिक) दर्शाई है, में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर,

मेघालय, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गोवा और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में से कर्नाटक ने 2010-11 में 536 करोड़ रूपए की तुलना में 2011-12 में 176 करोड़ रूपए का लाभ रिकॉर्ड किया।

वर्ष 2011-12 के दौरान शीर्ष 6 राज्य जिन्होंने लाभ (संचित आधार पर) दर्ज किया है

करोड़ रूपए में

दिल्ली	1,710
आंध्र प्रदेश	699
पश्चिम बंगाल	625
गुजरात	623
केरल	241
कर्नाटक	176

वर्ष 2011-12 के दौरान निचले सतर वाले 6 राज्य जिन्होंने हानियां (संचित आधार पर) दर्ज की हैं :

करोड़ रूपए में

राजस्थान	19,751
तमिलनाडु	14,306
उत्तर प्रदेश	12,372
हरियाणा	3,653
झारखंड	3,211
मध्य प्रदेश	3,004

(अनुलग्नक 1.5.1 से 1.5.3)

1.3.2 प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ/हानियां

सभी कंपनियों के लिए एकीकृत आधार पर प्राप्त सब्सिडी पर हानियां वर्ष 2009-10 में 45,382 करोड़ रूपए से बढ़कर, 2010-11 में 53,986 करोड़ रूपए और 2011-12 में 67,006 करोड़ रूपए हो गयीं।

दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, सिक्किम और कर्नाटक जैसे राज्यों में विद्युत कंपनियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ अर्जित किया। राजस्थान (1,617 करोड़ रूपए), पंजाब (1,187 करोड़ रूपए) और महाराष्ट्र (829 करोड़ रूपए) की कंपनियों ने 2010-11 की तुलना में 2011-12 में प्राप्त सब्सिडी आधार पर हानियों में काफी

कमी दर्शायी। हालांकि कुछ राज्यों में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर हानियों में अत्यधिक वृद्धि हुई। इनमें उत्तर प्रदेश(4,481 करोड़ रूपए), हरियाणा (2,804 करोड़ रूपए), झारखंड (2,488 करोड़ रूपए), तमिलनाडु (2,400 करोड़ रूपए) और आंध्र प्रदेश(1,559 करोड़ रूपए) शामिल हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान शीर्ष 6 राज्य जिन्होंने लाभ (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर) दर्ज किया है

रूपए करोड़ में

दिल्ली	1,710
पश्चिम बंगाल	625
गुजरात	623
केरल	241
सिक्किम	36
कर्नाटक	19

वर्ष 2011-12 के दौरान निचले सतर वाले 6 राज्य जिन्होंने हानियां (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर) दर्ज की हैं :

करोड़ रूपए में

राजस्थान	19,765
तमिलनाडु	14,306
उत्तर प्रदेश	12,372
हरियाणा	3,696
आंध्र प्रदेश	3,361
झारखंड	3,211

(अनुलग्नक 1.5.1 से 1.5.3)

1.3.3 लाभ/हानियां (सब्सिडी के बिना)

सभी विद्युत कंपनियों के लिए एकीकृत हानियां (सब्सिडी की गणना किए बिना) वर्ष 2009-10 में 64,463 करोड़ रुपए से बढ़कर 2010-11 में 74,291 करोड़ रुपए और 2011-12 में 92,845 करोड़ रुपए हो गई।

दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल और सिक्किम राज्यों की कंपनियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान एकीकृत आधार पर लाभ (सब्सिडी के बिना) अर्जित किया। कुछ राज्यों में सब्सिडी के बिना हानियों को काफी हद तक घटाया गया। इनमें राजस्थान(1,058 करोड़ रूपए), महाराष्ट्र (856 करोड़ रूपए), पंजाब (222 करोड़ रूपए) और असम (123 करोड़ रूपए) शामिल हैं। दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की कंपनियों ने वर्ष 2010-11 की तुलना में 2011-12 के

लिए क्रमश: 653 करोड़ रूपए और 278 करोड़ रूपए का लाभ (सब्सिडी के बिना) अर्जित किया और इसमें सुधार दर्शाया।

हालांकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की कंपनियों की एकीकृत आधार पर सब्सिडी पर विचार किए बिना हानियां अत्यधिक बढ़ गयीं। इनमें उत्तर प्रदेश (6,018 करोड़ रूपए), हरियाणा (3,306 करोड़ रूपए), तमिलनाडु (2,831 करोड़ रूपए), झारखंड (2,788 करोड़ रूपए), आंध्र प्रदेश (1,972 करोड़ रूपए) और बिहार (1,524 करोड़ रूपए) शामिल हैं।

(अनुलग्नक 1.5.1 से 1.5.3)

1.3.4 नकद लाभ/हानि (राजस्व पर और वसूल की गयी सब्सिडी के आधार पर)

सभी राज्यों के लिए एकीकृत नकद हानियां(राजस्व पर और वसूल की गई सब्सिडी के आधार पर) वर्ष 2009-10 में 38,705 करोड़ रूपए से बढ़कर 2010-11 में 53,419 और 2011-12 में 76,363 करोड़ रूपए हो गयीं। पंजाब और राजस्थान राज्य ने नकद हानियों में कमी/नकद लाभ में वृद्धि के संदर्भ में 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान काफी सुधार दर्शाया है जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। इन राज्यों में से पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने 2011-12 में नकद हानियों की तुलना में 2010-11 में नकद लाभ रिकॉर्ड किया।

(अनुलग्नक 1.5.1 to 1.5.3)

सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करनेवाले राज्य विद्युत बोर्डों, वितरण कंपनियों और अन्य कंपनियों के मामले में प्राप्त होनेवाली राशियों में परिवर्तन के लिए नकद लाभ (राजस्व पर और वसूल की गई सब्सिडी के आधार पर) को समायोजित किया जाता है। परंतु जेनको, ट्रांसको और ट्रेडिंग कंपनियों के लिए ऐसा नहीं किया जाता है।

1.3.5 वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए कंपनियों की एकीकृत आय, व्यय और लाभप्रदता संबंधी विवरण नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :

करोड़ रूपए में

		2009-10	2010-11	2011-12
क	आय (सब्सिडी के बिना)- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली कंपनियां	1,90,698	2,28,731	2,68,447

ख	व्यय (मूल्यह्रास, बट्टेखाते में डाली गई राशियां और कर के बिना) - उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली कंपनियां	2,45,425	2,91,770	3,48,218
ग	मूल्यह्रास, बट्टेखाते डाली गई राशियां, सब्सिडी और कर के बिना लाभ (हानि)- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली कंपनियां (क-ख)	(54,727)	(63,039)	(79,771)
घ	मूल्यह्रास, बट्टेखाते डाली गई राशियां, सब्सिडी और कर के बिना लाभ/(हानि)- जेनको, ट्रांसको और ट्रेडिंग कंपनियां	6,650	7,136	6,199
ड़	सभी कंपनियों के लिए मूल्यह्रास, बट्टेखाते डाली गई राशियां, सब्सिडी और कर के बिना कुल लाभ/(हानि) (ग+घ)	(48,076)	(55,903)	(73,572)
च	बुक की गई सब्सिडी	34,033	22,689	30,263
छ	आय कर	776	1,329	1,582
छ1	आस्थगित कर	760	932	1,156
ज	सभी कंपनियों के लिए मूल्यह्रास, बट्टेखाते डाली गई राशियां के बिना लाभ/(हानि) (ड़+च-छ)	(14,819)	(34,543)	(44,891)
झ	भुगतान न की गई सब्सिडी	14,953	2,384	4,424
ञ	वसूल न किया गया राज्स्व	8,933	16,492	27,048
ट	**सभी कंपनियों के लिए राजस्व और वसूल की गई सब्सिडी के आधार पर नकद लाभ/(हानि) (ज-झ-** ञ)	**(38,705)**	**(53,419)**	**(76,363)**
ठ	मूल्यह्रास और बट्टेखाते में डाली गई राशियां	14,851	16,127	16,535
ड	**सभी कंपनियों के लिए कुल बुक लाभ/हानियां (ज-ठ-छ1)**	**(30,430)**	**(51,602)**	**(62,582)**
ढ	**सभी कंपनियों के लिए प्राप्त सब्सिडी आधार पर कुल लाभ/हानि (ड-झ)**	**(45,383)**	**(53,986)**	**(67,006)**
ण	**सभी कंपनियों के लिए सब्सिडी के बिना कुल लाभ/हानि (ड-च)**	**(64,463)**	**(74,291)**	**(92,845)**

1.3.6 अत्यधिक हानि दर्शाने वाली कंपनियों को छोड़कर क्षेत्र की लाभप्रदता

यदि हम स्थायी आधार पर चुनिंदा राज्यों से संबंधित हानियों का विश्लेषण करें तो संपूर्ण क्षेत्रीय निष्पादन पर बेहतर संभावनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तदनुसार यह देखा जा सकता है कि राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अन्य राज्यों की तुलना में संचित आधार पर अधिक हानियां दर्ज की हैं। वर्ष 2011-12 में इन तीनों राज्यों के लिए संचित आधार पर एकीकृत हानियां 46,430 करोड़ रूपए रहीं। इसी प्रकार 2011-12 के दौरान इन तीनों राज्यों के लिए प्राप्त सब्सिडी के आधार पर एकीकृत हानियां 46,444 करोड़ रूपए रहीं।

करोड़ रूपए में

	2009-10		2010-11		2011-12	
	संचित आधार पर पीएटी/ (हानि)	प्राप्त सब्सिडी आधार पर पीएटी/ (हानि)	संचित आधार पर पीएटी/ (हानि)	प्राप्त सब्सिडी आधार पर पीएटी/ (हानि)	संचित आधार पर पीएटी/ (हानि)	प्राप्त सब्सिडी आधार पर पीएटी/ (हानि)
राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से इतर सभी राज्य	(11,705)	(15,639)	(10,435)	(12,805)	(16,152)	(20,562)
राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश	(18,724)	(29,743)	(41,167)	(41,181)	(46,430)	(46,444)
जोड़	**(30,430)**	**(45,382)**	**(51,602)**	**(53,986)**	**(62,581)**	**(67,006)**

1.3.7 एकीकृत राजस्व के अनुपात के रूप में लाभ

एकीकृत राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में सभी कंपनियों के लिए एकीकृत बुक हानियां 2010-11 में 22.56% से बढ़कर 2011-12 में 23.31% हो गईं। एकीकृत राजस्व के प्रतिशत के रूप में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर एकीकृत हानियां (सब्सिडी को छोड़कर) वर्ष 2010-11 में 23.60% से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 24.96% हो गईं।

(अनुलग्नक 1.5.4 to 1.5.6)

1.4 बुक की गई और प्राप्त सब्सिडी

बहुत से मामलों में एक वित्त वर्ष के दौरान बुक की गई सब्सिडी आगामी वित्त वर्षों में प्राप्त होती है। वार्षिक लेखाओं में सूचना उपलब्ध न होने पर प्राप्त सब्सिडी के विवरण विद्युत कंपनियों से अलग से प्राप्त किए गए हैं।

सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली कंपनियों द्वारा बुक की गई सब्सिडी वर्ष 2009-10 में 34,014 करोड़ रूपए से घटकर 2010-11 में 22,66 करोड़ रूपए हो गई और वर्ष 2011-12 में पुन: बढ़कर 30,242 करोड़ रूपए हो गई। विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में कंपनियों द्वारा बुक की गई सब्सिडी में कमी देखी गई और यह वर्ष 2009-10 में 19.67% से घटकर 2010-11 में 10.93% हो गई। वर्ष 2011-12 में विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में बुक की गई सब्सिडी 12.49% रही। 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान एपीडीसीएल और जीईएससीओएम द्वारा अर्जित राजस्व की तुलना में बुक की गई सब्सिडी के स्तर में 5% से अधिक की कमी हुई है। हालांकि कुछ कंपनियां जैसे बीएसईबी, जेएसईबी, टीएसईसीएल, डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, पश्चिमांचल वीवीएनएल, पूर्वांचल वीवीएनएल, एपीसीपीडीसीएल, एपीईपीडीसीएल और एपीएनपीडीसीएल ने 2010-11 की तुलना में 2011-12 विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व की अपेक्षा बुक की गई सब्सिडी के सतर में 5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। कंपनियों द्वारा बुक की गई सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में सरकारों द्वारा जारी की गई सब्सिडी 2009-10 में 56.08% से बढ़कर 2010-11 में 89.54% हो गई और 2011-12 में पुन: घटकर 85.42% पर पहुंच गई। असम(0.00%), आंध्र प्रदेश (50.03%), कर्नाटक (88.40%) और हरियाणा(98.75%) को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने अपनी संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा बुक की गई संपूर्ण सब्सिडी जारी कर दी है।

(अनुलग्नक 1.4.1)

1.5 आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और औसत राजस्व (प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के आधार पर) के बीच अंतर (रूपए/केडब्ल्यूएच)

आपूर्ति की औसत लागत वर्ष 2009-10 में 3.55/केडब्ल्यूएच से बढ़कर 2010-11 में 3.97/केडब्ल्यूएच और 2011-12 में 4.39/केडब्ल्यूएच हो गई।

औसत राजस्व (बुक की गई सब्सिडी पर विचार किए बिना) वर्ष 2009-10 में 2.68/केडब्ल्यूएच से बढ़कर 2010-11 और 2011-12 में क्रमश: 3.03/केडब्ल्यूएच और 3.31/केडबल्यूएच हो गया। आपूर्ति की औसत लागत और सब्सिडी के बिना औसत राजस्व के बीच अंतर वर्ष 2009-10 में 0.87/केडब्ल्यूएच था जो 2010-11 में बढ़कर 0.94/केडब्ल्यूएच और 2011-12 में 1.07/केडब्ल्यूएच

हो गया। इसी प्रकार बुक की गई सब्सिडी के आधार पर अंतर वर्ष 2009-10 में 0.40/केडब्ल्यूएच से बढ़कर 2010-11 में 0.64/ केडब्ल्यूएच और 2011-122 में 0.70/केडब्ल्यूएच हो गया। प्राप्त सब्सिडी आधार पर अंतर वर्ष 2009-10 में 0.61/केडब्ल्यूएच से बढ़कर 2010-11 में 0.67/ केडब्ल्यूएच और 2011-12 में 0.76/केडब्ल्यूएच हो गया।

(अनुलग्नक 1.6.1 से 1.6.3)

क्षेत्रवार अंतर के संदर्भ में रूझान नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

रूपए / केडब्ल्यूएच

क्षेत्र	**सब्सिडी के बिना अंतर**			**सब्सिडी के साथ अंतर**			**प्राप्त सब्सिडी के साथ अंतर**		
	09-10	**10-11**	**11-12**	**09-10**	**10-11**	**11-12**	**09-10**	**10-11**	**11-12**
पूर्वी	0.52	0.51	1.09	0.34	0.30	0.70	0.34	0.30	0.70
पूर्वोत्तर	1.14	1.69	1.68	1.09	1.41	1.50	1.10	1.41	1.63
उत्तरी	1.34	1.58	1.68	0.46	1.20	1.19	0.94	1.20	1.19
दक्षिणी	0.99	0.97	1.13	0.50	0.55	0.62	0.69	0.66	0.81
पश्चिमी	0.34	0.29	0.30	0.21	0.17	0.19	0.21	0.17	0.19
राष्ट्रीय	**0.87**	**0.94**	**1.07**	**0.40**	**0.64**	**0.70**	**0.61**	**0.67**	**0.76**

उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों ने वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

(अनुलग्नक 1.6.1 to 1.6.3)

1.6 व्यय संबंधी विवरण

व्यय संबंधी विवरण और लागत ढांचा क्रमश: **अनुलग्नक 1.7.1 से 1.7.3** और **अनुलग्नक 1.8.1 से 1.8.3** में संलग्न हैं।

.

अध्याय 2

वित्तीय स्थिति

2.0 प्रस्ताव

इस खंड में वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों की जांच की गई है।

2.1 पूंजीगत ढांचा

इस क्षेत्र में नियोजित कुल पूंजी (विद्युत विभागों के लिए 2001-02 से पहले निवल मूल्य को छोड़कर) वित्त वर्ष 2010 के अंत में 3,72,936 करोड़ रूपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2011 के अंत में 4,29,784 करोड़ रूपए और वित्त वर्ष 2012 के अंत में 4,70,792 करोड़ रूपए हो गई।

(अनुलग्नक 2.1.0)

वित्तीय संस्थानों, बैंकों और बाजार से लिए गए ऋण इस क्षेत्र में नियोजित पूंजी का मुख्य स्रोत बने हुए हैं। कुल नियोजित पूंजी में इन ऋणों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2010 के अंत में 71% से बढ़कर वित्त वर्ष 2011 के अंत में 76% और वित्त वर्ष 2012 के अंत 81% हो गई। राज्य सरकार से लिए गए ऋण जिसकी नियोजित पूंजी में हिस्सेदारी दूसरे स्थान पर है, वित्त वर्ष 2010 के अंत में 12% से घटकर वित्त वर्ष 2011 के अंत में 10% हो गई और वित्त वर्ष 2012 के अंत में पुन: वृद्धि के साथ 12% हो गई। उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि विद्युत कंपनियां राजय सरकारों की तुलना में अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार में मौजूदा संसाधनों पर अधिक विश्वास करती हैं।

(अनुलग्नक 2.2.1 से 2.2.3)

2.2 निवल मूल्य

इस क्षेत्र में कुल इक्विटी निवेश वर्ष 2009-10 में 1,24,258 करोड़ रूपए से बढ़कर 2010-11 में 1,41,944 करोड़ रूपए और वर्ष 2011-12 में 1,70,451 करोड़ रूपए हो गया। इस प्रकार वर्ष 2011-12 के दौरान इसमें 20% की वृद्धि दर्ज की गई। पंजाब(पीएसपीसीएल), उत्तर प्रदेश (पश्चिमांचल वीवीएनएल और यूपीजेवीएनएल को छोड़कर), छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र(एमएसपीटीसीएल को छोड़कर), दिल्ली (दिल्ली ट्रासंको और एनडीपीएल को छोड़कर), मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात(जीयूवीएनएल और पीजीवीसीएल को छोड़कर) की विद्युत कंपनियों में काफी मात्रा में इक्विटी निवेश किया गया है।

31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य 14,973 करोड़ रूपए से घटकर 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 5,314 करोड़ रूपए हो गया है। विद्युत कंपनियों को हुई हानियों के कारण

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य नकारात्मक होकर 31,812 करोड़ रूपए हो गया।

(अनुलग्नक 2.2.0)

2.3 ऋण के रूप में ली गई निधियां

राज्य सरकारों से लिए गए बकाया ऋणों की राशि 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 44,835 करोड़ रूपए से आंशिक रूप से घटकर 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 43,658 करोड़ रूपए हो गई और 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार यह पुन: बढ़कर 55,085 करोड़ रूपए हो गई। बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की बकाया राशि, बांड और डिवेंचर तथा अन्य ऋणों की राशि वर्ष 2011-12 के दौरान विद्युत कंपनियों द्वारा लिए गए कुल ऋणों का लगभग 88% थी। इन ऋणों की राशि 31 मार्च,2010 की स्थिति के अनुसार 2,66,320 करोड़ रूपए से वर्ष 2011 की स्थिति के अनुसार 3,32,445 करोड़ रूपए और 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 3,86,868 करोड़ रूपए हो गई।

(अनुलग्नक 2.2.1 से 2.2.3)

2.4 निवल स्थायी परिसंपत्तियां और पूंजीगत डब्ल्यूआईपी (सीडब्ल्यूआईपी)

निवल स्थायी परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 2,31,812 करोड़ रूपए से बढ़कर 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 2,96,179 करोड़ रूपए हो गईं और 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 3,26,549 करोड़ रूपए हो गईं। संविदाकारों को दिए गए अग्रिमों के साथ सीडब्ल्यूआईपी 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 96,364 करोड़ रूपए से बढ़कर 31 मार्च,2011 की स्थिति के अनुसार 1,07,038 करोड़ रूपए हो गया और 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 1,30,730 करोड़ रूपए हो गया।

(अनुलग्नक 2.3.0 और 2.4.0)

2.5 पूंजीगत व्यय

वर्ष 2009-10 के दौरान पूंजीगत व्यय 59,022 करोड़ रूपए था जो वर्ष 2010-11 के दौरान बढ़कर 70,147 करोड़ रूपए हो गया । हालांकि वर्ष 2011-12 में इसमें आंशिक कमी हुई और यह घटकर 69,868 करोड़ रूपए हो गया। ऐसे राज्य जिन्होंने वर्ष 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान संपूर्ण पूंजीगत व्यय में आंशिक वृद्धि दर्शायी है, उनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं।

(अनुलग्नक 2.5.0)

2.6 विद्युत की बिक्री से प्राप्त होनेवाली राशियां

इस क्षेत्र में लगातार प्राप्त होने वाली राशियों का संकट बना रहा। उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाले एसईबी, डिस्कॉम और अन्य विद्युत कंपनियों को प्राप्त होने वाली कुल राशियां 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 64,641 करोड़ रूपए से बढ़कर 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 80,702 करोड़ रूपए और 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 1,07,750 करोड़ रूपए हो गई। विद्युत की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशियां (दिनों की संख्या के संदर्भ में) वित्त वर्ष 2010 के दौरान 109 दिन से घटकर वित्त वर्ष 2011 के दौरान 105 दिन और वित्त वर्ष 2012 के दौरान 102 दिन हो गईं।

(अनुलग्नक 2.6.1)

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली विद्युत कंपनियों को प्राप्त होने वाली राशियों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

रेंज	कंपनियों की संख्या	
	2010-11	**2011-12**
60 दिन से कम	20	20
60 और 90 दिन के बीच	10	8
90 दिन से अधिक	24	26

वित्त वर्ष 2012 के अंत में दिल्ली, राजस्थान, गुजराता और आंध्र प्रदेश (एपीएनपीडीसीएल को छोड़कर), डब्ल्यूबीएसईडीसीएल, एचपीएसईबी लिमिटेड, पीएसीपीसीएल, केएसईबी, टीएएनजीईडीसीओ और गोवा की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 60 दिन से कम की प्राप्तियां हुईं।

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बीएसईबी, सीईएसयू, सिक्किम पीडी, अरूणाचल पीडी, मणिपुर पीडी, एमईईसीएल, नागालैंड पीडी, जे एंड के पीडीडी, उत्तर प्रदेश की वितरण कंपनियां (पश्चिमांचल वीवीएनएल को छोड़कर), सीएचईएससीओएम, जीईएससीओएम और मध्य प्रदेश की वितरण कंपनियां (एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल को छोड़कर) ने 200 दिन से अधिक की बिक्री के साथ उच्च स्तर की राशियां प्राप्त कीं।

जेनको, ट्रांसको और ट्रेडिंग कंपनियों के लिए विद्युत की बिक्री/ट्रांसमिशन हेतु कर्जदारों की राशि 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 47, 111 करोड़ रूपए से बढ़कर 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 60,245 करोड़ रूपए और 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 83,444 करोड़ रूपए हो गई । विद्युत की बिक्री/पारेषण से प्राप्त होने वाली राशियां (दिनों की संख्या के संदर्भ में) वर्ष 2009-10 में 161 दिन से बढ़कर 2010-11 में 182 दिन और 2011-12 में 199 दिन हो गईं। इन विद्युत कंपनियों में से ओएचपीसी, एईजीसीएल, दिल्ली और हरियाणा की विद्युत कंपनियों, जे एंड के पीडीसीएल, उत्तर प्रदेश की विद्युत कंपनियां, यूजेवीएनएल, केपीसीएल, पुडुचेरी पीसीएल,

टीएएनट्रांसको और सीएसपीटीसीएल ने 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 200 दिन से अधिक बिक्री की राशियां प्राप्त की हैं।

(अनुलग्नक 2.6.2)

2.7 विद्युत की खरीद के लिए क्रेडिटर

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली विद्युत कंपनियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए देय राशियां 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 50,408 करोड़ रूपए से बढ़कर 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 68,607 करोड़ रूपए और 31 मार्च,2012 की स्थिति के अनुसार 1,07,553 करोड़ रूपए हो गईं। विद्युत की खरीद के लिए क्रेडिट राशियां वित्त वर्ष 2010 के दौरान 100 दिन की खरीद से बढ़कर वित्त वर्ष 2011 के दौरान 116 दिन और वित्त वर्ष 2012 के दौरान 151 दिन हो गईं।

(अनुलग्नक 2.7.2)

अध्याय 3
लाभप्रदता और पूंजीगत ढांचा अनुपातों का विश्लेषण

3.0 प्रस्तावना

वित्तीय अनुपात किसी विद्युत कंपनी के निष्पादन संबंधी बहुत से पहलुओं की गणना में और विद्युत कंपनियों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण में सहायक होते हैं।

इस खंड में लाभप्रदता, प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय सहूलियत(इस्तेमाल) से संबंधित अनुपात प्रस्तुत किए गए हैं।

3.1 इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)

वर्ष 2011-12 के दौरान इक्विटी पूंजी पर रिटर्न (पीएटी बुक की गई सब्सिडी के आधार पर विचार किए जाने पर) 17 विद्युत कंपनियों अर्थात ओएचपीसी, ओपीजीसीएल, ओपीटीसीएल, डब्ल्यूबीएसईटीसीएल, दिल्ली ट्रांसको, इंद्रप्रस्थ, एनडीपीएल, एपीजेनको, एपीट्रांसको, एपीईपीडीसीएल, बीईएससीओएम, केएसईडीसी, सीएसपीटीसीएल, डीजीवीसीएल, जीईटीसीओ, एमजीवीसीएल और एमएसपीटीसीएल के लिए 12% से अधिक था।

(अनुलग्नक 3.1.0)

पिछले दो वर्ष के लिए आरओई की रेंज और इसके वितरण संबंधी विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

आओई	विद्युत कंपनियों की संख्या	
	2010-11	2011-12
1% से कम	8	3
1% से 5%	11	12
5% से 12%	10	8
12% से अधिक	13	18
नकारात्मक	39	40

3.2 निवल मूल्य पर रिटर्न (आरओएनडब्ल्यू)

वर्ष 2011-12 के दौरान निवल मूल्य पर रिटर्न (पीएटी की गणना बुक की गई सब्सिडी के आधार पर) 9 विद्युत कंपनियों अर्थात दिल्ली ट्रांसको, इंद्रप्रस्थ, एनडीपीएल, जेएंडकेपीडीसीएल, एपी ट्रांसको,

बीईएससीओएम, एचईएससीओएम, सीएसपीटीसीएल और एमएसपीटीसीएल के लिए 12% से अधिक था।

पिछले दो वर्ष के लिए आरओएनडब्ल्यू की रेंज और इसके वितरण संबंधी विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

आओई	विद्युत कंपनियों की संख्या	
	2010-11	2011-12
1% से कम	9	4
1% से 5%	15	13
5% से 12%	10	15
12% से अधिक	7	9
नकारात्मक	49	49

(अनुलग्नक 3.1.0)

3.3 नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई)

आरओसीई ऐसे रिटर्न का एक पैमाना है, जो कोई कंपनी कुल नियोजित पूंजी पर प्राप्त करती है। अनुपात उस दक्षता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके साथ राजस्व सृजित करने के लिए नियोजित पूंजी का सदुपयोग किया जा रहा है।

पिछले दो वर्ष के लिए आरओसीई की रेंज और इसके वितरण संबंधी विवरण संक्षेप रूप में नीचे तालिका में दिए गए हैं: -

आरओसीई की रेंज	विद्युत कंपनियों की संख्या	
	2010-11	2011-12
1% से कम	1	1
1% से 12%	47	46
12% से अधिक	4	7
नकारात्मक	38	36

(अनुलग्नक 3.2.0)

3.4 कर्ज इक्विटी अनुपात

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 54 विद्युत कंपनियों का निवल मूल्य सकारात्मक था, जबकि 36 विद्युत कंपनियों का निवल मूल्य नकारात्मक था ।

वर्ष 2011-12 के दौरान पाए गए कर्ज इक्विटी अनुपात की रेंज निम्नानुसार हैं :

कर्ज इक्विटी अनुपात की रेंज	विद्युत कंपनियों की संख्या
1 से कम	10
1 से 2.33 के बीच	22
2.33 से 3.5 के बीच	6
3.5 से अधिक	15
नकारात्मक	34

(अनुलग्नक 3.3.0)

अध्याय 4
वास्तविक मानदंडों के आधार पर निष्पादन

4.0 प्रस्तावना

देश की कुल स्थापित क्षमता31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 1,99,877 मेगावाट की तुलना में 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार 2,23,344 मेगावाट हो गई। वर्तमान में स्थापित क्षमता में राज्य क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 40%, केन्द्रीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 29% और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 31% है। देश निजी क्षेत्र की उत्पादन कंपनियों पर तेजी से विश्वास प्रदर्शित कर रहा है।
(स्रोत: सीईए)

4.1 स्थापित क्षमता (मेगावाट)

रिपोर्ट में शामिल की गई राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों की एकीकृत स्थापित क्षमता 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 74,308 मेगावाट थी जो 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 75,818 मेगावाट हो गई। वर्ष 2011-12 के दौरान प्रमुख क्षमता अभिवृद्धि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हुई। देश की कुल स्थापित क्षमता में थर्मल, हाइड्रल और गैस क्षमता उत्पादन का योगदान क्रमश: 59%, 34% और 5% है।

(अनुलग्नक 4.1.0, 4.1.1 से 4.1.3)

4.2 उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच)

उत्पादन वर्ष 2010-11 में 3,48,073 एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर 2011-12 में 3,73,191 एमकेडब्ल्यूएच हो गया। थर्मल उत्पादन की हिस्सेदारी लगातार अधिक बनी हुई है और यह वर्ष 2011-12 में कुल उत्पादन का 73% रहा, हाइडल उत्पादन 21% और गैस आधारित उतपादन कुल उत्पादन का 5% रहा।

नागालैंड पीडी, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीजीसीएल, आरआरवीयूएनएल, यूपीजेवीएनएल, एपी जेनको, केपीसीएल, केएसईबी, पुडुचेरी पीसीएल और टीएएनजीईडीसीओ ऐसी विद्युत कंपनियां हैं, जिन्होंने वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान अपने उत्पादन में 10% या उससे अधिक की वृद्धि दर्शाई है।

(अनुलग्नक 4.2.0, 4.2.1 से 4.2.3)

केपीसीएल, टीएएनजीईडीसीओ, एमपीपीजीसीएल, केएसईबी, यूपीजेवीएनएल और एमएसपीजीसीएल ऐसी कंपनियां हैं, जिन्होंने हाइडल उत्पादन की लक्ष्य प्राप्ति में सुधार किया है।

टीएएनजीईडीसीओ, एपीजेनको, एचपीजीसीएल, आरआरवीयूएनएल और केपीसीएल ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने थर्मल उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी दिखायी है।

(अनुलग्नक 4.2.1 से 4.2.3)

4.3 सहायक खपत

गैर हाइडल स्रोतों से प्रमुख उत्पादन करने वाली विद्युत कंपनियों की सहायक खपत वर्ष 2010-11 में कुल उत्पादन के 8.35% से घटकर वर्ष 2011-12 में 7.90% हो गयी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (जेएसईबी को छोड़कर) की विद्युत कंपनियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान 10% से अधिक उच्च सहायक खपत दर्ज की है।

(अनुलग्नक 4.4.1)

नागालैंड पीडी (6%) को छोड़कर ऐसी विद्युत कंपनियों, जो प्राथमिक रूप से जल विद्युत उत्पादन से जुड़ी हैं, की सहायक खपत कुल उत्पादन की 0-5% की रेंज में बनी रही।

(अनुलग्नक 4.4.2)

4.4 विद्युत की खरीद (एमकेडब्ल्यूएच)

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली विद्युत कंपनियों द्वारा विद्युत की खरीद वर्ष 2010-11 में 6,92,619 एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर 2011-12 में 7,43,937 एमकेडब्ल्यूएच हो गई। इस प्रकार इसमें 7.41% की वृद्धि दर्ज की गई।

(अनुलग्नक 4.6.0)

4.5 विद्युत की बिक्री (एमकेडब्ल्यूएच)

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली विद्युत कंपनियों द्वारा विद्युत की बिक्री वर्ष 2010-11 में 5,78,698 एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर 2011-12 में 6,22,504 एमकेडब्ल्यूएच हो गई। इस प्रकार इसमें 7.57% की वृद्धि दर्ज की गई।

(अनुलग्नक 4.8.0)

4.6 एकीकृत तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां (एटी और सी)

एटी और सी हानियों की गणना के लिए पद्धति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से तैयार की गई है। एटी और सी हानियां बिक्री के लिए उपलब्ध ऊर्जा (पारेषण हानियों और ऊर्जा की ट्रेडिंग के लिए समायोजित) (एमकेडब्ल्यूएच) और प्राप्त की गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करती हैं और तदनुसार रिपोर्ट में कंपनियों के मूल्यांकन के लिए इसे एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में अपनाया गया है। प्राप्त की गई ऊर्जा वस्तुत: वह ऊर्जा है जिसके लिए बिल प्रेषित किए जाते हैं (ऊर्जा की ट्रेडिंग के लिए समायोजित) (एमकेडब्ल्यूएच)। इसका प्रभाव संग्रहण क्षमता पर पड़ता है। संग्रहण क्षमता कंपनी की दक्षता का एक ऐसा सूचकांक है जो चालू वर्ष के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों के बिलों की वसूली से जुड़ा होता है और इसके अंतर्गत वर्ष दर वर्ष आधार पर प्राप्त होने वाली राशियों के संचलन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

यह नोट किया जाए कि सभी राज्यों में अभी भी ऐसे उपभोक्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिनके घरों में मीटर नहीं लगाए गए हैं और वार्षिक लेखाओं में एटी और सी हानियों की गणना के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं है। यह सूचना विद्युत कंपनियों से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार एटी और सी हानियों से संबंधित सूचना का इस्तेमाल करते समय अपेक्षित सावधानी बरती जाएगी।

4.6.1 एटी और सी हानियां

राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली कंपनियों के लिए एटी और सी हानियों का औसत (%) वर्ष 2010-11 में 26.04% से बढ़कर 2011-12 में 27.00% हो गया। वर्ष 2010-11 में संग्रहण क्षमता 94.16% से घटकर वर्ष 2011-12 में 92.93% हो जाने के कारण वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान एटी और सी हानियों में आंशिक वृद्धि हुई है। सवाल इस बात का है कि क्या 2011-12 में भी संग्रहण क्षमता 2010-11 के स्तर पर बनाए रखी गई, यदि ऐसा किया गया होता तो वर्ष 2011-12 में भी एटी और सी हानियां 26.04% के स्तर पर बनी रही होतीं।

वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 के लिए उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली कंपनियों के संदर्भ में एटी और सी हानियों का क्षेत्रवार औसत निम्नानुसार है:

%

क्षेत्र	2010-11	2011-12
पूर्वी	38.72	42.61
पूर्वोत्तर	37.03	34.85
उत्तरी	29.22	31.49
दक्षिणी	19.21	18.62
पश्चिमी	24.47	24.86
राष्ट्रीय	**26.04**	**27.00**

सभी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्र की एटी और सी हानियां वर्ष 2011-12 के लिए 18.62% के न्यूनतम स्तर पर बनी रहीं।

(अनुलग्नक 4.7.1 से 4.7.3)

निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2010-11 की तुलना में 2011-12 में एटी और सी हानियों में सुधार हुआ है:

तक कमी	राज्यों की संख्या	राज्यों के नाम
0-2 %	6	उड़ीसा, त्रिपुरा, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, केरल और महाराष्ट्र
2-4 %	4	झारखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश
4% से अधिक	3	मेघालय, मिजोरम और नागालैंड

ऐसे राज्य जिनमें 2010-11 की तुलना में 2011-12 में एटी और सी हानियों में वृद्धि हुई है, के विवरण और प्रतिशत के संदर्भ में इनकी वृद्धि के स्तर नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तक बढ़ोत्तरी	राज्यों की संख्या	राज्यों के नाम
0-2 %	8	असम, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गोवा और मध्य प्रदेश
2-4 %	3	दिल्ली, उत्तराखंड और गुजरात
4% और उससे ज्यादा	6	बिहार, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पुदुचेरी

(अनुलग्नक 4.7.1 से 4.7.3)

अध्याय 5
खपत पैटर्न और राजस्व में योगदान का विश्लेषण

5.0 प्रस्तावना

इस खंड में एमकेडब्ल्यूएच और रूपए के संदर्भ में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिक्री, कुल बिक्री में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी, उपभोक्ता श्रेणीवार राजस्व आदि का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

यह नोट किया जाए कि सभी राज्यों में अभी भी ऐसे उपभोक्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिनके घरों में मीटर नहीं लगाए गए हैं । इसके अलावा ज्यादातर मामलों में वार्षिक लेखाओं में एटी और सी हानियों की गणना के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं है। यह सूचना विद्युत कंपनियों से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस अध्याय में और यहां संदर्भित तालिकाओं में दी गई संबंधित सूचना का इस्तेमाल करते समय अपेक्षित सावधानी बरती जाए।

5.1 विद्युत की बिक्री

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली सभी विद्युत कंपनियों द्वारा बिक्री की गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) वर्ष 2010-11 में 5,78,698 एमकेडबल्यूएच से बढ़कर 2011-12 में 6,22,504 एमकेडब्ल्यूएच हो गई। इस प्रकार इसमें 7.57% की वृद्धि दर्ज की गई। असम, मणिपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं, जहां वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान विद्युत (एमकेडब्ल्यूएच) की बिक्री के संदर्भ में 10% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

जहां एक ओर उपर दर्शाए अनुसार बिक्री की गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) में 7.57% की वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व में भी 16.80% की वृद्धि दर्ज की गई और यह वर्ष 2010-11 में 2,07,343 करोड़ रूपए से बढ़कर 2011-12 में 2,42,198 करोड़ रूपए हो गया। इसका आशय यह है कि इस दौरान बेहतर राजस्व वसूली की गई।

(**अनुलग्नक 1.1.0**)

बिक्री के विभिन्न मानदंडों का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित खंडों में प्रस्तुत किया गया है:

5.2 विश्लेषण में शामिल तथ्य (कवरेज)

उपभोक्ताओं का सीधे बिक्री करने वाली सभी विद्युत कंपनियों द्वारा बिक्री की गई ऊर्जा (एमकेडबल्यूएच) वर्ष 2009-10 में 5,28,086 एमकेडबल्यूएच थी जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर 5,78,698 एमकेडब्ल्यूएच और 2011-12 में 6,22,504 एमकेडब्ल्यूएच हो गई। बिक्री की गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) के उपभोक्ता श्रेणीवार विवरण उपलब्ध हैं। यह वर्ष 2009-10 में 5,12,431 एमकेडब्ल्यूएच (बिक्री की गई कुल ऊर्जा का 97%), 2010-11 में 5,39,270 एमकेडब्ल्यूएच (बिक्री की गई कुल ऊर्जा का 93%) और 2011-12 में 5,94,959 एमकेडबल्यूएच (बिक्री की गई कुल ऊर्जा का 96%) है। इसी प्रकार वर्ष 2009-10 के लिए विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व 1,72,948 करोड़ रूपए , 2010-11 के लिए विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व 2,07,347 करोड़ रूपए और 2011-12 के लिए विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व 2,42,189 करोड़ रूपए था। उपभोक्ता श्रेणीवार विवरण भी उपलब्ध हैं। ये वर्ष 2009-10 के लिए 1,66,234 करोड़ रूपए (विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व का 96%), वर्ष 2010-11 के लिए 1,92,017 करोड़ रूपए (विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व का 93%) और वर्ष 2011-12 के लिए 2,33,956 करोड़ रूपए (विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व का 97%) हैं। यह विश्लेषण उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है।

5.3 कृषि उपभोक्ताओं को बिक्री

कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2011-12 के दौरान बिक्री की गई ऊर्जा का प्रतिशत बिक्री की गई कुल ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच में) का लगभग 23% था। कुल राजस्व में कृषि उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में लगभग 7% रही।

(अनुलग्नक 5.5.1 और 5.6.1)

5.4 औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री

औद्योगिक उपभोक्ताओं को वर्ष 2011-12 के दौरान बिक्री की गई ऊर्जा का प्रतिशत बिक्री की गई कुल ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच में) का लगभग 32% था। कुल राजस्व में कृषि उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में लगभग 45% रही।

(अनुलग्नक 5.5.1 और 5.6.1)

5.5 क्रॉस सब्सिडी

वर्ष 2011- 12 में प्रमुख रूप से कृषि कार्यों में खपत करने वाली कंपनियों के लिए क्रॉस सब्सिडी का स्तर औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित राजस्व की तुलना में बिक्री की गई ऊर्जा की मात्रा के एक तुलनात्मक विश्लेषण के रूप में उभरकर सामने आया है।

राज्य	कृषि (बिक्री की गई कुल ऊर्जा का % - एमकेडब्ल्यूएच)	कृषि (कुल राजस्व का % करोड़ रूपए में)	औद्योगिक (बिक्री की गई कुल ऊर्जा का % - एमकेडब्ल्यूएच)	औद्योगिक (कुल राजस्व का % करोड़ रूपए में)
हरियाणा	31%	3%	26%	32%
कर्नाटक	37%	21%	22%	29%
राजस्थान	40%	18%	26%	38%
पंजाब	29%	-	32%	50%
आंध्र प्रदेश	28%	1%	33%	47%
महाराष्ट्र	27%	12%	38%	49%
गुजरात	25%	13%	42%	56%
तमिलनाडु	19%	-	27%	52%
मध्य प्रदेश	33%	14%	25%	41%
उत्तर प्रदेश	17%	7%	28%	40%
छत्तीसगढ़	16%	6%	40%	49%

उपर्युक्त तालिका में औद्योगिक उपभोक्ताओं से कृषि उपभोक्ताओं को दी गई क्रॉस सब्सिडी के स्तर दर्शाए गए हैं।

5.6 उपभोक्ता श्रेणीवार विवरण :

उपभोक्ता श्रेणीवार बिक्री की गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) और प्राप्त राजस्व (करोड़ रूपए में) के विवरणों के लिए **अनुलग्नक 5.2.1 से 5.2.9** देखें।

बिक्री की गई कुल ऊर्जा/ऊर्जा राजस्व (एमकेडबल्यूएच और रूपए के संदर्भ में) में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की प्रतिशत में हिस्सेदारी के विवरण **अनुलग्नक 5.3.1 से 5.3.6** में संलग्न हैं ।

अध्याय 6

सुधार और पुनर्गठन की स्थिति

6.0 प्रस्तावना

वितरण क्षेत्र में सुधार देश में त्वरित वृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए और राज्यों की वित्तीय स्थिति को ठीक बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू किए गए। ये सुधार राज्य विद्युत बोर्डों को भंग करके उत्पादन, पारेषण और वितरण युनिटों के लिए अलग-अलग कंपनियों का निर्माण कर और नियामक आयोगों की स्थापना के साथ शुरू किए गए हैं। इस खंड में विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र में किए गए सुधारों की स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

6.1 20 जून, 2013 की स्थिति के अनुसार सुधारों की स्थिति

- सभी राज्यों में राज्य विद्युत नियामक आयोगों का गठन कर दिया गया है। दो संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों को अधिसूचित किया गया है। इनमें से एक मिजोरम और मणिपुर राज्यों के लिए तथा दूसरा गोवा और अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली तथा पुडुचेरी संघ राज्यों के लिए अधिसूचित किया गया है।
- सभी राज्यों में राज्य विद्युत नियामक आयोगों का प्रचालन शुरू कर दिया गया है। संघ राज्यों और गोवा के लिए गठित संयुक्त विद्युत नियामक आयोग(जेईआरसी) में भी अपना प्रचालन शुरू कर दिया है।
- 19 राज्यों ने अपनी कंपनियों का विभाजन कर दिया है। त्रिपुरा ने अपने विद्युत विभाग का निगमीकरण कर दिया है। केरल, झारखंड और सिक्किम की राज्य सरकारों ने अपने विद्युत विभागों के निगमीकरण/राज्य विद्युत बोर्डों को भंग करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

20 जून, 2013 की स्थिति के अनुसार सुधारों और पुनर्गठन के विस्तृत विवरण **तालिका III** में संलग्न हैं।

तालिका III – 20 जून, 2013 की स्थिति के अनुसार सुधारों और पुनर्गठन की स्थिति

	लक्ष्य	अरूणाचल प्रदेश	आंध्र प्रदेश	असम		छत्तीसग			गोआ	हरियाणा	हिमलाचल प्रदेश	जम्मू और	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मेघालय	मणिपु	मिजोर	महाराष्ट	मध्य प्रदेश	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब	राजस्था	सिक्किम		त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	पश्चिम	**कुल**
1.0	**एसईआरसी**																														
क	गठित	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**2**
ख	प्रचालन	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**2**
ग	मुक्त पहुंच विनियम	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	**2**
2.0	**बोर्ड को भंग करना/ निगमीकरण**																														
क	करना निगमीकरण / -		√	√	√	√	√	√		√	√			√		√			√	√		√	√	√		√	*	√	√	√	**1**
ख	वितरण क्षेत्र का निजीकरण						√															√									**2**

नोट

* * त्रिपुरा विद्युत विभाग का त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के रूप में निगमीकरण किया गया है।

निम्नलिखित के लिए जेईआरसी गठित किए गए हैं : (1) मणिपुर और मिजोरम ; (2) संघ राज्यों और गोवा के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग

शब्द संक्षिप्तियों की सूची

एईजीसीएल	=	असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एपीसीपीडीसीएल	=	आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
एपीईपीडीसीएल	=	आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
एपीजीसीएल	=	असम पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एपीएनपीडीसीएल	=	आंध्र प्रदेश नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
एपीएसपीडीसीएल	=	आंध्र प्रदेश साउदर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
एपीट्रांसको	=	आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एवीवीएनएल	=	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
एएसईबी	=	असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
एपीडीसीएल	=	असम पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
एजी एंड एसपी	=	एक्सीलेरेटेड जेनरेशन एंड सप्लाई प्रोग्राम
एपीडीपी	=	एक्सीलेरेटेड पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम
एपीडीआरपी	=	एक्सीलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफार्म प्रोग्राम
एपीजेनको	=	आंध्र प्रदेश जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बीईएससीओएम	=	बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
बीएसईबी	=	बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
सीईएससीओ	=	सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड
सीएचईएससीओएम	=	चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
सीपीएसयु	=	सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
सीएसईबी	=	छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
सीएसपीडीसीएल		छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़
सीएसपीजीसीएल	=	स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड
सीएसपीटीसीएल		छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
सीएईडीसीएल	=	सेंट्रल असम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
डीई रेसिओ	=	डेट इक्विटी रेशिओ
डीजीवीसीएल	=	दक्षिण गुजरात विज. कंपनी लिमिटेड
डीएचबीवीएनएल	=	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डिसकॉम	=	डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी
डीवीवीएनएल	=	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
डीएससीआर	=	डेट सर्विस कवरेज रेशिओ
ईपी/पीडी	=	इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट/पावर डिपार्टमेंट
जीएसईसीएल	=	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जीईएससीओएम	=	गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
जीआरआईडीसीओ	=	ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड
जीईटीसीओ	=	गुजरात इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एचपी	=	हिमाचल प्रदेश
एचपीजीसीएल	=	हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एचईएससीओएम	=	हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
एचपीएसईबी एचपीएसईबी लिमिटेड	= =	हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड
आईसीएआई	=	द इंस्टिच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया
आईपीपी	=	इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर
आईपीसीएल	=	इंद्रप्रस्थ पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
जेडीवीवीएनएल	=	जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड
जेएसईबी	=	झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
जेवीवीएनएल	=	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जे एंड के पीडीडी	=	जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
जे एंड के पीडीसीएल	=	जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
केपीसीएल	=	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
केपीटीसीएल	=	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
केएसईबी केईएससीओ	= =	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
एलएईडीसीएल	=	लोअर असम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
एमईएससीओएम	=	मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
एमजीवीसीएल	=	मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
एमपीएसईबी	=	मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
एमपीपीजीसीएल	=	मध्य प्रदेश पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड
एमपीपीटीसीएल	=	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	=	एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	=	एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	=	एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एमएसईबी	=	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

एमएसईडीसीएल	=	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
एमएसपीजीसीएल	=	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड
एमएसपीटीसीएल	=	महाराष्ट्र स्टेट पावर ट्रासमिशन कंपनी लिमिटेड
एमईएसईबी एमईईसीएल	= =	मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एमवीवीएनएल	=	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
एमडब्ल्यू	=	मेगावाट
एमकेडब्ल्यूएच	=	मिलियन किलोवाट आवर्स
एमयू	=	मिलियन यूनिट्स (किलोवाट आवर्स)
एमओपी	=	मिनिस्ट्री ऑफ पावर
एमपी	=	मध्य प्रदेश
एनडीपीएल	=	नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड
एनईएससीओ	=	नॉदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड
ओएचपीसी	=	उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ओपीजीसीएल	=	उड़ीसा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ओपीटीसीएल	=	उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पीजीवीसीएल	=	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
पीपीसीएल	=	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पीएसईबी पीएसपीसीएल	= =	पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पूर्व वीवीएनएल	=	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पीएएसएच वीवीएनएल	=	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पीएलएफ	=	प्लान लोड फैक्टर
आरओसीई	=	रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
आरओई	=	रिटर्न ऑन इक्विटी
आरओआर	=	रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स एट बिगिनिंग ऑफ द इयर
आरओएनडब्ल्यू	=	रिटर्न ऑन नेट वर्थ
आरपी	=	रिसोर्स प्लान
आरआरवीयूएनएल	=	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
आरआरवीपीएनएल	=	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

आर एंड एम	=	रेनोवेशन एंड माडर्नाइजेशन
एसईबी	=	स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
एसईआरसी	=	स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन
एसईएससीओ	=	साउदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड
टीएनईबी टीएएनजीईडीसीओ टीएएनटीआरएएनएससीओ	= = =	तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
टी एंड डी	=	ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन
टीवीएनएल	=	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड
यूएईडीसीएल	=	अपर असम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीबयूशन कंपनी लिमिटेड
यूजीवीसीएल	=	उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
यूएचबीवीएनएल	=	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
यूजेवीएनएल	=	उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड
यूपीआरवीयूएनएल	=	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
यूपीजेवीएनएल	=	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
यूपीपीसीएल यूपीपीटीसीएल	= =	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
यूपी	=	उत्तर प्रदेश
यूटी पीसीएल	=	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
यूटी ट्रांसको	=	उत्तराखंड ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
यूटी	=	यूनियन टेरिटोरी
डब्ल्यूबीपीडीसीएल	=	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
डब्ल्यूबीएसईबी	=	वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	=	वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	=	वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
डब्ल्यूईएससीओ	=	वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड
करोड़ रूपए	=	10 मिलियन रूपए